

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL

ORIGINAL APPLICATION NO. 192/2025

IN THE MATTER OF:

RASHID NOOR KHAN

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF MADHYA PRADESH & ORS.

....RESPONDENTS

INDEX

SR.	PARTICULARS	ANNEXURE	PAGE
1.	Factual and Action taken report in compliance of order dated 07.01.2026		1-9
2.	Nominations issued by the concerned departments	Annexure -1	10-19
3.	Copy of the Joint Committee Minutes of the meeting dated 11.03.2026	Annexure -2	20-75
4.	Copy of the Steering Committee order dated 18.07.2019	Annexure -3	76
5.	Copy of the Urban Administration and Development Department, Government of Madhya Pradesh order dated 27.10.2021	Annexure -4	77-78

Date: 10.04. 2026

Submitted by MPPCB:-

Place: Bhopal



through Counsel

Adv. Parul Bhadoria

Ph. No.: (+91)-8085977111;

Email: parul.bhadoria04@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL
ORIGINAL APPLICATION NO. 192/2025

IN THE MATTER OF:

RASHID NOOR KHAN

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF MADHYA PRADESH & ORS.

....RESPONDENTS

STATUS REPORT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 15, MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD (MPPCB) IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 07.01.2026

1. That the, Hon'ble NGT has taken cognizance of air pollution and severe air quality in the Non-Attainment Cities- namely Bhopal, Indore, Jabalpur, Sagar, Ujjain, Dewas, Mandideep and Singraulli as identified under the National Clean Air Programme of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India(hereinafter referred as "NCAP Cities") .
2. That at the outset it is mentioned that under the National Clean Air Program (NCAP), the District Level and State Level Committee have been duly constituted and these committees are regularly taking meetings and monitoring the compliances by the responsible departments.
3. That in compliance of the order passed by the Hon'ble Tribunal the concerned departments had duly nominated their representatives for the joint committee.

The copies of the orders of the nominations issued by the concerned departments are collectively filed herewith and marked as **Annexure R/3-1**.

4. That in order to consider and examine the issues raised in the original application by the applicant, a meeting of senior officers from concerned department was held on 11.03.2026 :-

Sr.	Name of Officer and Designation	Department
1.	Dr. Ravi Prakash Mishra, Former Additional Director	Central Pollution Control Board, Bhopal.
2.	Mr. Shishir Gemavat, Additional Commissioner	Urban Administration and Development Department, Bhopal.
3.	Mr. Kiran Sharma, Deputy Transport Commissioner	Transport Department, Mantralaya Bhopal.
4	Dr. Satya, Scientist E	Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Integrated Regional Office Bhopal
5	Dr. Subrata Pani, Laboratory In-charge	Environmental and Planning Coordination Organization (EPCO), Bhopal.
6	P.C. Uchariya, Senior Scientific Officer	MP PCB
7	Dr. Rajendra Chaturvedi, Chief Chemist	MP PCB
8	Dr. Rajkumari Singh, Chief Chemist	MP PCB.
9.	Dr. Amit Kumar Mishra, Assistant Scientific Officer	EPCO Bhopal.
10	Mr. Pracheer Dikshit, Senior Solutions Architect	Environment Surveillance Centre, MP PCB
11	Mr. Jainendra Chandel, Chemist	MP PCB.
12	Mr. Rajneesh Patel, Chemist	MP PCB
13	Mr. Sumit Chhetri, Consultant	Urban Administration and Development Department, Bhopal.

14	Mr. Atul Khare, Consultant	Urban Administration and Development Department, Bhopal.
----	-------------------------------	--

The minutes of the above meeting dated 11.03.2026 is filed herewith and marked as **Annexure R/3-2.**


5. That in the above meeting the following points/compliances were discussed :
- i. To identify the air shed area for urban and rural area in the NCAP Cities;
 - ii. To identify the factors for deteriorating ambient air quality and air shed area in the NCAP cities and prepare a Graded Response Action Plan;
 - iii. To state the responsibility of different stakeholders in the Graded Response Action Plan for the execution of the plan;
 - iv. To ensure compliance of the order dated 07.01.2026 passed by the Hon'ble NGT in OA 181/2025 (Bhopal Citizens Forum vs. State of MP & Ors.).
 - v. That for the NCAP Year 2025-26 the target has been revised to achieve reduction in PM10 levels up to 40% (base year 2019-20) or achievement of National Ambient Air Quality Standards (NAAQS; 60 microgram/cubic meter) annually as per MoEF&CC National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) Notification dated 18/11/2009.
 - vi. As per the XV Finance Commission Air Quality Grant the cities with more than one million population have been given an annual target of 15% reduction in annual average PM10 concentrations and improvement of Good Days in terms of air quality (Air Quality Index less than 200);
 - vii. Under NCAP, the Apex Committee, the Steering Committee, Monitoring and Implementation Committee at Central level have been

constituted for effective implementation of NCAP. Also the Steering Committee, the Monitoring and Implementation Committee and Air Quality Monitoring Committee (as constituted by Urban Administration and Development Department) at State level have been constituted for monitoring of the action plans. District Level Monitoring and Implementation Committee at city levels have been constituted.

- viii. The Government of Madhya Pradesh vide order dated 18.07.2019 had constituted the Steering Committee under the chairmanship of the Chief Secretary of the Government of Madhya Pradesh. The copy of this order is filed herewith and marked as **Annexure R/3-3**;
- ix. That for monitoring and execution of the activities for air quality improvement in the city of Bhopal, Gwalior, Indore and Jabalpur the Urban Administration and Development Department, Government of Madhya Pradesh vide order dated 27.10.2021. The copy of this order is filed herewith and marked as **Annexure R/3-4**;
- x. During the meeting, the committee members were informed ambient air quality for year 2024-2025 for NCAP cities as compared to the year 2023-24.



PM₁₀ Annual Average in (µg/m³)				
Sr. No.	City	2023-24	2024-25	Improvement % (Reduction in PM10 level)
1	Bhopal	113	110	3
2	Indore	99	108	-9
3	Jabalpur	91	88	3
4	Gwalior	136	125	8
5	Ujjain	84	79	6
6	Dewas	99	83	16
7	Sagar	74	82	-11

Annual Average (Manual + CAAQMS).



Air Quality Index (AQI) at NCAP CAAQMS Locations
(Sep2024-Feb26) BHOPAL

S.No.	Date	Bhopal, Paryavaran Parisar	Bhopal, Collectorate Office	Bhopal, TT Nagar	Bhopal			
					AQI	PM10 (µg/m3)	PM2.5 (µg/m3)	CO (mg/m3)
1	Sep-24	61	68	67	66	65.10	27.17	0.55
2	Oct-24	130	121	123	123	131.75	56.48	0.86
3	Nov-24	254	216	211	227	192.69	98.62	1.14
4	Dec-24	184	174	171	174	151.90	79.91	0.92
5	Jan-25	156	114	128	133	125.28	62.66	0.96
6	Feb-25	123	93	113	111	115.68	35.81	0.71
7	Mar-25	103	93	117	104	101.24	26.71	0.71
8	Apr-25	112	103	130	116	120.41	37.10	0.70
9	May-25	69	88	102	86	80.43	25.91	0.56
10	Jun-25	64	85	70	73	72.16	20.89	0.50
11	Jul-25	47	57	58	53	52.73	15.28	0.53
12	Aug-25	58	45	56	52	48.89	18.66	0.51
13	Sep-25	54	52	63	55	53.01	21.06	0.59
14	Oct-25	117	131	118	121	113.56	51.83	0.68
15	Nov-25	182	191	228	198	185.10	89.38	1.03
16	Dec-25	177	166	153	166	161.47	74.36	0.95
17	Jan-26	182	137	142	154	151.67	70.88	0.87
18	Feb-26	122	116	109	115	120.85	48.75	0.81



6. That under the NCAP, the Source Apportionment (SA) study for the non-attainment cities is to be carried out since the source apportionment of particulate matter (PM) will help in understanding the emission sources and estimating the share of contributing sectors at different locations within these cities. That during the meeting of the committee the details of the source appointment study were discussed which are as follows:

6.1 The work of Source Apportionment (SA) study for the cities of Bhopal and Gwalior have been completed, the draft for the cities of Indore and Jabalpur have been prepared is pending at peer review level and for Sagar, Dewas and Ujjain the study in under process.

6.2 The study for Bhopal city has been undertaken by Automotive Research Association of India, Pune (A.R.A.I.) , for the city of Gwalior study has been undertaken by Indian Institute of Technology, Kanpur and for the city of Indore the study has been undertaken by World Resource Institute of India and Clean Air Catalyst which are based in New Delhi.

6.3 The study for the remaining cities-namely Jabalpur, Ujjain, Dewas and Sagar is being undertaken by Maualana Azad National Institute of Technology (MANIT), Bhopal.

6.4 The major pollutants as identified in the studies which have been completed for two cities are particulate matters PM_{10} and $PM_{2.5}$.

6.5 The action plan as stated by ARAI in its source apportionment study has to be executed by different stakeholders in order to improve the overall ambient air quality of the non-attainment cities.

6.6 At present MP PCB had installed Fifteen (15) Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations (CAAQMS) in the NCAP cities for continuous monitoring of the air quality and further purchase of thirty-

nine (39) CAAQMS for state of Madhya Pradesh by MP PCB is under process.

7. That on the basis of earlier inspections conducted for the city of Bhopal the proposed Emergency Response System Plan and the Graded Response Action Plan (National Capital Region) and the action plan as prepared by (A.R.A.I.) was placed before the Committee.
8. In light of the above discussions, The committee has made the recommendations which are to be executed on priority. A brief summary of these recommendations are as follows:
 - a. At the foremost to control the road dust emission and vehicular emissions the officers in the meeting from the Urban Administration and Development Department and Transport Department were requested to take necessary action.
 - b. To clean the road dust the suction process should be performed instead of using sweeping machine blower and the roads should be cleaned at the outer lane. The footpaths and corners should have end-to-end pave blocking. At boat and at the both ends of the roads suitable plantation of herbs, shrubs and plants is to be undertaken in such a manner that the dust emissions are effectively controlled.
 - c. The representative from the Urban Administration and Development Department had recommended the inclusion of Town and Country Planning Department in the present case in order to control the works in illegal construction, building construction and permissions.
 - d. That the responsibility should be given to Local Traffic Police Officer by Transport Department of MP to control the Vehicular Emissions.

- e. Recommended to invite the representative of ARAI: The Automotive Research Association of India, Pune in next meeting for a detailed discussion and to finalize conclusions regarding the Source Apportionment (SA) study for the city of Bhopal.
- f. The number of CAAQMS units should be increased to monitor the ambient air quality of Bhopal city; furthermore, prior to the installation of these units, existing data and manual monitoring data should be reviewed to identify suitable locations.
- g. Members of the Joint Committee will conduct site visits and inspections of the 21 hotspots identified under the Source Apportionment (SA) study of Bhopal city, in order to formulate an appropriate action plan.
- h. While formulating the Graded Response Action Plan for the city of Bhopal, an initial 'Moderate' category should be established to ensure that circumstances can be brought under control before conditions escalate to a level similar as NCR Delhi.
- i. The committee will take action by also including members of the District-Level Committee for the Graded Response Action Plan and the Long-Term Action Plan.


The above recommendations have to be implemented by the concerned departments.

- 10. That this Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to take the present factual and action report on record.

Date: 10.04. 2026

Place: Bhopal

Submitted by MPPCB:-



through Counsel

Adv. Parul Bhadoria

Ph. No.: (+91)-8085977111;

Email: parul.bhadoria04@gmail.com

एन.जी.टी. प्रकरण क्र. 192/2025 के अंतर्गत गठित ज्वाइंट कमेटी : मेम्बर्स

क्र.	प्रतिनिधि का नाम/ पद	विभाग	मोबाइल नं.	ई-मेल
1	डॉ. रवि प्रकाश मिश्रा, सेवा निवृत्त, एडिशनल डायरेक्टर	के.प्र.नि.बोर्ड, भोपाल	9479350040	rpmishra.cpcb@gmail.com
2	श्री शिशिर गोमावत, अपर आयुक्त	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, म.प्र.	9899609162	-
3	डॉ. सत्या, वैज्ञानिक ई/ एडिशनल डायरेक्टर	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	9453021374	satyasinghmoef@gmail.com
4	श्री किरण शर्मा, उप परिवहन आयुक्त (शिकायत)	कैम्प कार्यालय भोपाल	9425187153	dtccom.gwl@gmail.com
5	डॉ. सुब्रता पाणी, प्रयोगशाला समन्वयक एवं प्रभारी अधिकारी	पर्यावरण अनुसंधान प्रयोगशाला, एफको	9893442857	-
6	पी.सी. उचारिया, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल	9424935067	pcuguna@gmail.com



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेच कॉलोनी, भोपाल-462016

Fax No : +91-755-2463742 E-mail : it_mppcb@rediffmail.com



क्रमांक OD-35

/विधि/एनजीटी/प्रनिबो/2026

भोपाल, दिनांक 16/01/2026

// कार्यालय आदेश //

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्याक 5) के आदेश सतईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल को (पक्षकारों के नाम)) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल बेंच, भोपाल के अपील क्रमांक 192/2025, IA 01/2026 (राशिद नूर खॉन विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने आवेदन पत्र करने और उपसंजात होने के लिये नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है, कि म०प्र० विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कतव्यों तथा उत्तदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्त के तुरन्त पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा:-

- (1) प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसा कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिनसे कि मामले के संचालन में बोर्ड अभिभाषक को सहायता पहुंचाने की संभावना हो। रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिदिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जावे।
- (2) समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- (3) याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये जिनसे की बोर्ड द्वारा नियुक्त अभिभाषक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (4) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ बोर्ड अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा।
- (5) बोर्ड अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा।
- (6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजपत्र भेजेगा:-
 - (1) बादपत्र की एक प्रति के साथ बोर्ड की एक रिपोर्ट।
 - (2) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - (3) उन सभी दस्तावेजों की एक पूरी सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाइल करना माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल/सेन्ट्रल बेंच में प्रस्तावित है, और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट अपेक्षा की गई है।
 - (4) मामले के विशादीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें बाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।
- (7) मामले की तैयारी और संचालन करने में बोर्ड अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
- (8) जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्ट तथा बोर्ड के विरुद्ध पारित किया जाता है तो बोर्ड को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।

Today 22/1/26

22/1/26

- (9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा बोर्ड अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही के किये जाने के लिये इस बोर्ड को भेजेगा।
- (10) यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
- (11) जैसे कि उसे अपना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्घशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सोप देने के पश्चात भी जब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाये।
- (12) प्रभारी अधिकारी, मामला तैयार करने में बोर्ड अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण पत्र या दस्तावेज आप्रकटिक/छुपी हुई न रह जाये।
- (13) प्रभारी अधिकारी या लोक अभियोजक मुर्करर है तो वह जैसे ही विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट सदस्य सचिव को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभी प्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाये।
- (14) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुर्करर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद के प्रक्रम में कार्य किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुर्नरीक्षण आपेक्षित है। समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही पारित की जाये सदस्य सचिव को अपनी अनुशंसा के साथ बोर्ड को अग्रेषित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित

Digitally Signed by: Manoj Kumar
Mandrai
Date: 16-01-2026
04:14 pm
अधीक्षण यंत्री(विधि)

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16/01/2026

पृ०क्र० OD-36 /विधि/एनजीटी/प्रनिबो/2026,

प्रतिलिपि:-

- (1) वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित साथ ही बोर्ड अधिवक्ता से सम्पर्क करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर बोर्ड अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ सदस्य सचिव को भेजने हेतु अग्रेषित मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति बोर्ड को सदैव ही भेजी जावे। कृपया प्रकरण की आगामी सुनवाई से पूर्व रिपोर्ट माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि निर्धारित समयावधि में माननीय एनजीटी के आदेश का पालन हो सके।
- (2) श्रीमती पारूल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चेम्बर, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Digitally Signed by: Manoj Kumar
Mandrai
Date: 16-01-2026
04:11 pm
अधीक्षण यंत्री(विधि)

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
वल्लभ भवन -II, दिवतीय तल
मंत्रालय, भोपाल 462004
//आदेश//

U.P. Pollution Control Board
BHOPAL M.P.
No. 4445613
23/01/2026

भोपाल, दिनांक 20-01-2026

क्रमांक ENV/0023/2026-Sec-1-66(ENV) - सिविल संहिता प्रक्रिया 1908 (1) 1908 का अधिनियम संख्यक-5 के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेंट्रल बेंच भोपाल में दायर प्रकरण क्रमांक ओ.ए. - 192/2025(CZ), आई.ए. - 01/2026 - श्री राशिद नूर खान विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय भोपाल को मध्य प्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिकथनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने, आवेदन करने और उपसजात होने के लिए नियुक्त किया जाता है। प्रभारी अधिकारी को ये आदेश दिया जाता है, कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग, नियमावली में वर्णित कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा:-

1. प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जांच करेगा जैसा कि आवश्यक हो और विधि याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट की जायेगी।
2. समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम अधिसूचनाएँ/ तथा आदेश एकत्रित करेगा।
3. वाद पत्र/याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता लिखित कथन/ उत्तर तैयार करायेगा। प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा:-
(अ) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार को एक रिपोर्ट।
(ब) प्रस्तावित लिखित कामों का प्रारूप।

Pravash
29/1/1

(स) उन सब गवाहों दस्तावेजों की सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाइल करना प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रस्तावित है, और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।

(द) मामले के विशुद्धिकरण के लिए, आवश्यक कगज पत्रों की प्रतियां इनमें बाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।

6. मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले में उससे प्रक्रम और प्रगति में नियम किए गए कर्तव्यों से स्वयं उसे सदैव ही अवगत रखना।

7. जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टता मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है यथा विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।

8. आपकी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किए जाने के लिए इस विभाग को भेजेंगे।

9. यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।

10. जैसे ही उसे अपना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का पदभार सौंप देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाये।

11. प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण बिन्दु या दस्तावेज अप्रकटित/छुपा नहीं रह जाये।

12. प्रभारी अधिकारी या लोक अभियोजक मुर्करर है, तो यह जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है तो परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।

13. प्रभारी अधिकारी या लोक अभियांजक मुर्करर है, तो वह इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी बाद के प्रक्रम में पारित किये गये अंतिम आदेश या पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई। अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जाए। विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय) विभाग को अग्रेषित करें।

2. न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम रूप से आदेश पारित किए जानेपर प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह तत्काल आदेश का अध्ययन कर बिन्दुओं को अलग से छंटे जिन पर कार्यवाही की जाकर पालन प्रतिवेदन किस निर्दिष्ट दिनांक तक न्यायालय में किया जाना है। तत्पश्चात प्रभारी अधिकारी तत्काल लिखित में शासन का अथवा उस

सक्षम अधिकारी जहाँ से आवश्यक कार्यवाही की जाना है, ध्यान आकर्षित कराएगा।
निश्चित समयवधि में न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएगा।

3. प्रभारी अधिकारी समय-समय पर प्रकरण की प्रगति से सदस्य सचिव को भी लिखित में अवगत कराएगा ताकि प्रत्येक प्रकरण की अद्यतन जानकारी वहाँ उपलब्ध रह सके।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


Digitally signed by
Varsha Solanki
Date: 20-01-2026
17:22:10
VARSHA SOLANKI

DEPUTY SECRETARY
ENVIRONMENT DEPARTMENT

पृष्ठकन क्रमांक ENV/0023/2026-Sec-1-66(ENV) भोपाल, दिनांक 20-01-2026
प्रतिलिपि:-

- (1) रजिस्ट्रार, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेंट्रल बेंच, भोपाल।
 - (2) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
 - ✓(3) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
 - (4) वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय भोपाल एवं प्रकरण के प्रभारी अधिकारी की ओर पालनार्थ। कृपया समय-समय पर प्रकरण में प्रगति की जानकारी विभाग को उपलब्ध कराएँ।
 - (5) आईर बुक।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

SE-(L)



(DIGITALLY SIGNED)
VARSHA SOLANKI
DEPUTY SECRETARY
ENVIRONMENT DEPARTMENT

Re: Compliance of order dated 07.01.2026 in O.A.No.192/2025(CZ) titled as Rashid Noor Khan Vs. State of Madhya Pradesh & Ors.

Dy. Director General of Forest (C) RO Bhopal < rowz.bpl-mef@nic.in >

Tue, 27 Jan 2026 6:36:04 PM +0530

To "ms-mppcb"<ms-mppcb@mp.gov.in>

Cc "Principal Secretary"<psenvironment@mp.gov.in>,"DG EPCO EPCO Bhopal"
<dg.epco@mp.gov.in>,"psuaddmp"
<psuaddmp@mpurban.gov.in>,"secretarymptd"
<secretarymptd@mp.gov.in>,"Mohit Buch"<legalcell.pcb@mp.gov.in>,"Pentani
Jagan"<cpcb.bhopal@gov.in>,"Satya Singh"<satya.gupta@gov.in>

Sir,

I am directed to inform you that, Dr. Satya, Scientist-E/Additional Director is nominated from Regional Office, MoEFCC, Bhopal, for the said committee.

The contact details are as follows:

Dr. Satya, Scientist-E

Mobile: 9453021374

Email: satya.gupta@gov.in

Regards

(Aswathy Bhaskaran)

Research Officer

MoEF&CC, RO, Bhopal

---- On Thu, 08 Jan 2026 10:19:11 +0530 **Registrar NGT CZB Bhopal <ngtczbbho-mp@gov.in>** wrote ---

Sir,

Please find herewith attached order dated 07.01.2026 in O.A.No.192/2025(CZ) titled as Rashid Noor Khan Vs. State of Madhya Pradesh & Ors. for necessary action and compliance at your end.

Please acknowledge receipt.

शुभकामनाओं सहित / with regards,

Judicial Section

राष्ट्रीय हरित अधिकरण/ National Green Tribunal,

कार्यालय आदेश

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल के ओ.ए. क्र. 192/2025 (Rashid Noor Khan vs State of Madhya Pradesh & Ors.) में पारित आदेश दिनांक 07.01.2026 के परिपालन में एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समन्वय एवं लॉजिस्टिक सपोर्ट हेतु नोडल एजेन्सी रहेगी। उक्त गठित समिति में EPCO की ओर से सदस्य प्रतिनिधि हेतु डॉ. सुब्रता पाणी (प्रयोगशाला समन्वयक एवं प्रभारी अधिकारी, पर्यावरण अनुसंधान प्रयोगशाला) को नामांकित किया जाता है।

(दीपक आर्य)
कार्यपालन संचालक

Endt No. 3754 / SEIAA/2026
Copy to:

Dated:- 4/2/26

1. Additional Chief Secretary Department of Environment, Mantralay Bhopal (M.P.) for kind information pls.
2. Regional Office, Ministry of Environment forest and Climate Change, Bhopal (M.P.)
3. Principal Secretary, Department of Urban Development & Housing, Mantralay Bhopal (M.P.) for kind information pls.
4. Principal Secretary, Department of Transport, State of MP, Bhopal, (M.P.) for kind information pls.
- ✓ 5. Member Secretary, State Pollution Control Board, E-5, Main Rd No. 3, Arera Colony, Bhopal, (M.P.) for kind information pls.
6. Accounts officer, EPCO, Bhopal.
7. Administrative officer, EPCO, Bhopal.

SE-L



कार्यपालन संचालक

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

क्र./शा/स्व.भा.मि./NGT/2026/

4175

भोपाल : 19/02/2026

प्रति,

सदस्य सचिव,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 192/2025 (CZ), IA 01/2026 (राशिद नूर खॉन विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 07.01.2026 के अनुपालन के संबंध में।

संदर्भ:- सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के पत्र क्रमांक OD-38/विधि/NGT(CZ)/प्रनिबो/2026 भोपाल, दिनांक 17.01.2026

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 192/2025 (CZ), IA 01/2026 (राशिद नूर खॉन विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 07.01.2026 के द्वारा 7 सदस्यीय संयुक्त समिति गठित कर 06 सप्ताह में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक प्रतिनिधि को नियुक्त किये जाने का लेख किया गया है।

उक्त संबंध में श्री शिशिर गोमावत, अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल को नामांकित किया जाता है।

सलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(संकेत भोंडवे)

आयुक्त

नगरीय प्रशासन एवं विकास,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल : 19/02/2026

पृ. क्र./शा/स्व.भा.मि./NGT/2026/ 4176

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. श्री शिशिर गोमावत, अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल।

आयुक्त

नगरीय प्रशासन एवं विकास,

मध्यप्रदेश, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 576 /2424267/2024/आठ
प्रति,

भोपाल दिनांक 20/2/2026

सदस्य सचिव
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016

विषय:-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 192/2025(CZ),IA 01/2026 (राशिद नूर खॉन विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 07-01-2026 के अनुपालन बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक OD-38/विधि/एनजीटी/सीजेड/प्रनिबो/2026 दिनांक 17-01-2026

विषयांकित संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें। पत्र के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 192/2025(CZ),IA 01/2026 (राशिद नूर खॉन विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 07-01-2026 के अनुपालन हेतु 7 सदस्य समिति गठित करने हेतु विभाग की ओर से एक प्रतिनिधि को नामांकित करने हेतु लेख किया गया था।

2/- अतः उक्त समिति में विभाग की ओर से श्री किरन शर्मा, उप परिवहन आयुक्त, (शिकायत) को प्रतिनिधि के रूप में नामांकित किया जाता है उनकी जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	नाम	मोबाईल नंबर	ईमेल आईडी
1	श्री किरन शर्मा, उप परिवहन आयुक्त (शिकायत) परिवहन आयुक्त, कैम्प कार्यालय, भोपाल	94251-87153	dtccom.gwl@gmail.com


(आयुष जैन)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग

भोपाल दिनांक 20/2/2026

क्रमांक 578 /2424267/2024/आठ
प्रतिलिपि :-

1. परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. श्री किरन शर्मा, उप परिवहन आयुक्त, (शिकायत) परिवहन आयुक्त, कैम्प कार्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. गार्ड फाइल।


अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग

मा. एन.जी.टी प्रकरण क्रमांक 192/2025 में पारित आदेश दिनांक 07.01.2026

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सात नॉन-अटेनमेंट शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार हेतु सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी कराई जा रही है। जिसका उद्देश्य शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार हेतु वैज्ञानिक आधार पर रणनीति एवं कार्ययोजना तैयार करना है।

एनकेप के अंतर्गत 07 शहरों की सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी (Source apportionment Study) की अद्यतन स्थिति का विवरण निम्नानुसार है:-

- भोपाल एवं ग्वालियर शहर की सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी (Source apportionment Study) का कार्य पूर्ण हो गया है।
- भोपाल शहर की सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ए.आर.ए.आई), पुणे द्वारा की गई है।
- ग्वालियर शहर की सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आई.आई.टी), कानपुर द्वारा की गई है।
- इंदौर शहर की सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (डब्ल्यू आर. आई.) एवं सी. ए. सी. (क्लीन एयर कैटालिस्ट) , नई दिल्ली द्वारा की गई है।
- जबलपुर, उज्जैन, देवास एवं सागर शहरों की सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल द्वारा की जा रही है।

भोपाल की Source Apportionment Study

सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी में परिवेशीय वायु गुणवत्ता का नमूना संग्रहण एवं विश्लेषण का कार्य भोपाल के 05 स्थानों पर किया गया।

(As per guideline available in PRANA Portal " **Model framework for conducting source apportionment studies**") :-

Air monitoring stations shall be installed at locations such as kerbside, residential, industrial and background. Minimum 05 locations for million plus cities and 04 locations for other cities. However, the number of monitoring stations can be increased depending upon the activity profile of a particular city





विवरण निम्नानुसार है:-

Code	Location	Latitude	Longitude	Category
NIREH	National Institute for Research in Environmental Health (NIREH),Bhauri Bypass Road	23°17'22.25"N	77°17'27.76"E	Background
GVDPR	Top N Town Ice-cream Factory, Govindpura Industrial Estate	23°16'11.20"N	77°26'35.66"E	Industrial
MPNGR	SankalpNetralay, Zone-II M.P.Nagar	23°13'48.95"N	77°26'11.97"E	Commercial+Traffic
KOLRD	Anupam Hospital, Kolar Road	23°10'20.29"N	77°25'1.43"E	Residential
DIGBL	Muskan Children's and General Hospital, near DIG Bungalow, Berasiya Road	23°16'36.48"N	77°24'10.37"E	Residential

भोपाल की Source Apportionment Study (SAS-Bhopal, 2021) के आधार पर एयर क्वालिटी को प्रभावित करने वाले प्रमुख पॉल्यूटेंट (मुख्यतः PM 2.5 व PM10) के वार्षिक, शीतकालीन (Winter) और ग्रीष्मकालीन (Summer) योगदान तथा उनके स्रोतों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया है।

1.वार्षिक स्तर (Overall / City-Level Contribution)

अध्ययन में वार्षिक स्तर पर मुख्य रूप से PM10(estimated to be 10,309.3 tonnes per year) और PM2.5(estimated to be 4121.1 tonnes per year) के योगदान (Emission Inventory) दिए गए हैं।






Figure ES-3 Sector-wise contribution to air pollutant emissions of A) PM10, B) PM 2.5, C) SO₂, D) NO_x, E) CO and F) NMVOC in Bhopal city, 2021

(A) PM10 – वार्षिक योगदान

पॉल्यूटेंट	प्रमुख स्रोत	योगदान (%)
PM10	धूल (Dust)	62.2%
	परिवहन (Transport)	13%
	निर्माण गतिविधियाँ (Construction)	12%
	कचरा जलाना (Waste Burning)	2.9%
	अन्य	शेष


(B) PM2.5 – वार्षिक योगदान

पॉल्यूटेंट	प्रमुख स्रोत	योगदान (%)
PM2.5	धूल (Dust)	37.7%
	परिवहन (Transport)	29.3%
	निर्माण (Construction)	7.6%
	कचरा जलाना (Waste Burning)	6.7%
	अन्य (Residential, Industry आदि)	शेष

(C) गैसीय पॉल्यूटेंट (वार्षिक)

पॉल्यूटेंट	प्रमुख स्रोत	प्रमुख योगदान
SO ₂	Residential + DG Set	29.5%, 28.2%
NO _x	Transport	67.8%
CO	Transport	87.8%
NMVOC	Transport + DG Set	73.7%, 21.5%

भोपाल की **Source Apportionment Study (SAS-Bhopal, 2021)** के आधार पर एयर क्वालिटी को प्रभावित करने वाले प्रमुख पॉल्यूटेंट (मुख्यतः PM 2.5 व PM10) के शीतकालीन (Winter) और ग्रीष्मकालीन (Summer) योगदान






Figure ES-2 City-level source contribution estimates (SCE) for Bhopal city using CMB receptor model during winter (A) and summer (B) seasons

(Note-The horizontal blue and orange coloured bars represent the mean SCE percentage in PM_{2.5} and PM₁₀, respectively while the error bars represent the range of estimated SCE among five sampling sites.)

2. शीतकाल (Winter Season)

- औसत PM_{2.5} = 91.7 µg/m³ (अधिकतम एम.पी. नगर में 111.9 µg/m³ तथा न्यूनतम NIREH पर 52.3 µg/m³)
- औसत PM₁₀ = 144.6 µg/m³ (अधिकतम DIGBL के पास 179.3 ± 55.6 µg/m³ तथा न्यूनतम NIREH पर 74.3 ± 23.1 µg/m³)

(A) PM 2.5 – शीतकालीन योगदान

पॉल्यूटेंट	स्रोत	योगदान (%)
PM 2.5	परिवहन	25%
	सेकेंडरी एरोसोल (Secondary Aerosols)	22.6%
	उद्योग (Industry)	17.3%
	बायोमास जलना (Biomass)	14.1%
	धूल (Dust)	12.8%
	अन्य	8.2%

(B) PM10 – शीतकालीन योगदान

पॉल्यूटेंट	स्रोत	योगदान (%)
PM10	धूल (Dust)	26.4%
	उद्योग	19.1%
	परिवहन	16.7%
	सेकेंडरी एरोसोल	16%
	बायोमास	12.5%
	अन्य	9.4%

शीतकाल में प्रमुख कारण

- ठंडी हवा → dispersion कम → pollution जमा होता है।
- combustion sources (वाहन, biomass) ज्यादा प्रभावी हैं।
- secondary aerosol formation अधिक है।

2. ग्रीष्मकाल (Summer Season)

- औसत PM2.5= 45.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (अधिकतम DIGBL में 54.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ तथा न्यूनतम NIREH स्थान पर 34.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- औसत PM10= 138.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (अधिकतम GVDPR के पास 176.9 \pm 45.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ तथा न्यूनतम NIREH स्थान पर 96.8 \pm 34.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

(A) PM2.5 – ग्रीष्मकालीन योगदान

पॉल्यूटेंट	स्रोत	योगदान (%)
PM2.5	परिवहन	28%
	धूल (Dust)	27.6%
	बायोमास	18.6%
	उद्योग	13.4%
	सेकेंडरी एरोसोल	10.8%
	अन्य	1.6%

(B) PM10 – ग्रीष्मकालीन योगदान

पॉल्यूटेंट	स्रोत	योगदान (%)
PM10	धूल (Dust)	46.6%
	परिवहन	12.6%
	उद्योग	11.5%
	बायोमास	9.8%
	सेकेंडरी एरोसोल	4.9%
	अन्य	14.6%

ग्रीष्मकाल में प्रमुख कारण

- तेज हवाएँ → resuspended dust बहुत अधिक है।
- कम नमी → coarse particles (PM10) बढ़ते हैं।
- secondary aerosol कम है।

4. पॉल्यूटेंट व उनके स्रोत (Summary)

पॉल्यूटेंट	मुख्य स्रोत
PM10	सड़क धूल, निर्माण, वाहनों से उठने वाली धूल
PM2.5	वाहन, उद्योग, biomass burning
SO ₂	घरेलू ईंधन, DG सेट
NO _x	वाहन (diesel/petrol)
CO	वाहन
NM VOC	वाहन, DG सेट

5. निष्कर्ष (Key Insights)

- भोपाल में धूल (Dust) सबसे बड़ा प्रदूषण स्रोत है (विशेषकर PM10 में)।
- परिवहन (Transport) PM2.5 और गैसीय पॉल्यूटेंट का प्रमुख स्रोत है।
- शीतकाल में combustion आधारित प्रदूषण अधिक।
- ग्रीष्मकाल में dust dominance स्पष्ट।
- Secondary aerosols शीतकाल में अधिक प्रभावी।

Action Plan

Source Apportionment Study के अंतर्गत किए गए विस्तृत विश्लेषण के आधार पर Automotive Research Association of India (ARAI), पुणे द्वारा एक समग्र कार्ययोजना (Action Plan) तैयार की गई है। यह कार्य योजना (Action Plan) समयबद्ध (time-bound) है तथा इसमें विभिन्न हितधारकों (stakeholders) के उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं (संलग्नक-01)।

बोर्ड के पत्र क्रमांक/ 16 दिनांक 21.03.2025 द्वारा एक्शन प्लान में निर्देशित उत्तरदायी एजेंसी/ अथॉरिटी को Source Apportionment Study में वायु गुणवत्ता सुधार हेतु की गई अनुशंसाओं के क्रियान्वयन के लिये बोर्ड द्वारा पत्र लिखा गया है (संलग्नक-02)।

उक्त कार्ययोजना के अनुरूप कार्यान्वयन किए जाने की स्थिति में भविष्य में वायु गुणवत्ता में सुधार अपेक्षित है। वर्ष 2026 एवं 2031 के लिए Future Emission Projections & Control Scenarios निम्नानुसार संभावित हैं:

1. (Future Emission Projections & Control Scenarios)

शहर में भविष्य (वर्ष 2026 एवं 2031) के लिए वायु प्रदूषण स्तर का आकलन करने हेतु चार विभिन्न Emission Scenarios (उत्सर्जन परिदृश्य) विकसित किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

NFC (No Further Control):- इस परिदृश्य में कोई अतिरिक्त नियंत्रण उपाय लागू नहीं किए जा सकते हैं।

BAU (Business As Usual):- इस परिदृश्य में वर्तमान में लागू नियंत्रण उपायों (existing control measures) को जारी रखते हुए भविष्य का आंकलन किया गया है।

SC-I (Scenario-I:- Aggressive Control) :- इस परिदृश्य में प्रदूषण नियंत्रण हेतु सख्त उपायों के कार्यान्वयन को शामिल किया गया है।

SC-II (Scenario-II: Maximum Feasible Control):- इस परिदृश्य में उपलब्ध सभी प्रभावी एवं व्यावहारिक (feasible) नियंत्रण उपायों को अधिकतम स्तर तक लागू करने का प्रावधान किया गया है।




Figure PM10 Emission reduction potential (%) w.r.t. NFC in three scenarios (BAU,SC-I, and SC-II of 2026 and 2031)




Figure- PM2.5 Emission reduction potential (%) w.r.t. NFC in three scenarios (BAU, SC-I, and SC-II of 2026 and 2031)

मुख्य निष्कर्ष (Key Conclusion)

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि:

- NFC की स्थिति में उत्सर्जन में निरंतर वृद्धि होगी।
- वर्तमान उपायों (BAU) से सीमित सुधार ही संभव है।
- SC-I से उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आती है।
- SC-II के अंतर्गत उत्सर्जन में सर्वाधिक कमी प्राप्त होती है, जो वायु गुणवत्ता सुधार हेतु सबसे प्रभावी विकल्प है।

वायु गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित उपाय/कदम उठाए जाते रहे हैं—

1. निम्नलिखित समितियों की नियमित बैठकें बोर्ड मुख्यालय द्वारा आयोजित कराई जाती हैं

- राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी,
- एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी (AQMC), तथा
- राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन समिति (SLMIC)

इन बैठकों के माध्यम से वायु गुणवत्ता सुधार से संबंधित कार्यों की समीक्षा एवं समन्वय सुनिश्चित किया जाता है।

राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी

संयुक्त सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अ.शा. पत्र क्रमांक/16017/12/ 2009 सीएए दिनांक 24.04.2019 के अनुक्रम में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत प्रदेश के नॉन अटेंनमेंट शहरों के एक्शन प्लान क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा तथा मार्गदर्शन हेतु निम्नानुसार स्टीयरिंग कमेटी का गठन मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय द्वारा दिनांक 18.07.2019 को किया गया है -

1.	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग	सदस्य

6.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	सदस्य
9.	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	सदस्य
10.	संभागीय आयुक्त भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर एवं सागर	सदस्य
11.	सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य सचिव
12.	अध्यक्ष द्वारा नामांकित पर्यावरण विशेषज्ञ	सदस्य

राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन समिति (SLMIC)

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देश के अनुक्रम में प्रदेश के 04 मिलियन प्लस शहरों (इंदौर, जबलपुर, भोपाल एवं ग्वालियर) में वायु गुणवत्ता सुधार संबंधी गतिविधियों की निगरानी एवं कार्यान्वयन हेतु निम्नानुसार समिति का गठन मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल द्वारा दिनांक 27.10.2021 को आदेश जारी कर किया गया है :-

1.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग	अध्यक्ष
2.	आयुक्त, सह सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग	समन्वयक एवं सदस्य
3.	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि	सदस्य
4.	सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
5.	सचिव, परिवहन विभाग	सदस्य
6.	मध्यप्रदेश चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि	सदस्य

एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी (AQMC),

मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12- 86/ 2018/ 18 - 5- दिनांक 19 नवम्बर 2018 द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण मुख्य बेंच, नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 681/2018 में दिनांक 08/10/2018 को पारित आदेश के परिपालन में विभाग

की ओर से एक्शन प्लान बनाये जाने हेतु एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग के समन्वय में निम्नानुसार गठित की गई है -

1.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग	सदस्य
2.	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल अथवा उनके द्वारा अधिकृत संचालक स्तर के प्रतिनिधि	सदस्य
3.	आयुक्त, परिवहन अथवा उनके द्वारा अधिकृत संचालक स्तर के प्रतिनिधि	सदस्य
4.	आयुक्त, उद्योग संचालनालय, भोपाल अथवा उनके द्वारा अधिकृत संचालक स्तर के प्रतिनिधि	सदस्य
5.	संचालक, कृषि विभाग, मध्यप्रदेश	सदस्य
6.	सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल	सदस्य

❖ District level Implementation Committee (DLMIC) की नियमित बैठकें बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आयोजित कराई जाती हैं।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा वायु अधिनियम की धारा 18(1) – बी के अंतर्गत मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 16.09.2016 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार एक्शन प्लान में सम्मिलित कार्यों की समीक्षा हेतु **संलग्नक 03** अनुसार भोपाल शहर हेतु समिति का गठन किया गया है, इस समिति की बैठक का आयोजन क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा किया जाता है।

2. उद्योगों को स्वच्छ ईंधन (Cleaner Fuel) में रूपांतरण हेतु प्रोत्साहित एवं निर्देशित किया जाता है। **संलग्नक 04**
3. निरंतर वायु गुणवत्ता की निगरानी, सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (CAAQMS) एवं राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (NAMP) के माध्यम से की जाती है।
4. मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एनकेप शहरों की परिवेशीय वायु गुणवत्ता की सतत मॉनिटरिंग हेतु सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन स्टेशन (CAAQMS) संख्या 15 स्थापित किये गये हैं, जो संचालित है। वर्तमान में बोर्ड द्वारा 39 CAAQMS क्रय किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें एनकेप सिटीज भी शामिल है, जिनकी क्रय प्रक्रिया जारी है **संलग्नक 05**

5. राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (NAMP) के माध्यम से मध्यप्रदेश के 55 स्थानों (संलग्नक 06) पर बोर्ड द्वारा निगरानी की जाती है
6. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा वाहनों से होने वाले प्रदूषण की नियमित जांच एवं निगरानी की जाती है।
7. दीपावली पर्व के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा परिवेशीय वायु गुणवत्ता एवं सांउड लेवल मॉनिटरिंग की जाती हैं।
8. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा चिन्हित 21 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में विशेष निगरानी की जाती है। संलग्नक 07
9. जन-जागरूकता बढ़ाने हेतु विभिन्न गतिविधियाँ, जैसे विज्ञान मेले (Science Fair) आदि का आयोजन किया जाता है।
10. पर्यावरण विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 15.05.2017 अनुसार पराली जलाने पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का प्रावधान है एवं नोटिफिकेशन अनुसार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन नियमों को लागू करने हेतु अधिकृत किया गया है। पराली जलाने की घटनाओं की जानकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पर्यावरण निगरानी केन्द्र द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से प्रतिदिन मुख्य सचिव म.प्र. शासन, प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, आयुक्त नगर निगम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को दी जाती है।

इस संदर्भ में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर को पत्र भी लिखा गया है। संलग्नक 08

मा. एन.जी.टी प्रकरण क्रमांक 192/2025 में पारित आदेश दिनांक 07.01.2026 के पालनार्थ संयुक्त समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण

माननीय एन.जी.टी प्रकरण क्रमांक 192/2025 में पारित आदेश दिनांक 07.01.2026 के पालनार्थ संयुक्त समिति की बैठक दिनांक 11.03.2026 को समय प्रातः 11:30 बजे डॉ. रवि प्रकाश मिश्रा, सेवा निवृत्त, एडिशनल डायरेक्टर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय एन.जी.टी. के प्रकरण क्र. 192/2025 में उल्लेखित सदस्यों के प्रतिनिधि, जो बैठक में भौतिक एवं वर्चुअली उपस्थित हुये(उपस्थिति पत्रक संलग्नक 09), का विवरण निम्नानुसार है:-

1. डॉ. रवि प्रकाश मिश्रा, सेवा निवृत्त, एडिशनल डायरेक्टर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
2. श्री शिशिर गेमावत, अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल।
3. श्री किरण शर्मा, उप आयुक्त परिवहन (शिकायत), कैम्प कार्यालय, भोपाल।
4. डॉ. सत्या, वैज्ञानिक ई/ एडिशनल डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायुपरिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा)।
5. डॉ. सुब्रता पाणी, प्रयोगशाला समन्वयक एवं प्रभारी अधिकारी, पर्यावरण अनुसंधान प्रयोगशाला, एफ्को, भोपाल (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा)।
6. श्री पी.सी. उचारिया, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी(प्रमुख वैज्ञानिक संवर्ग), मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
 - अन्य उपस्थित अधिकारी
1. डॉ. राजेन्द्र चतुर्वेदी, मुख्य रसायनज्ञ, प्रभारी केन्द्रीय प्रयोगशाला, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
2. डॉ. राजकुमारी सिंह, मुख्य रसायनज्ञ, मॉनिटरिंग शाखा, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
3. डॉ. अमित कुमार मिश्रा, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, एफ्को, भोपाल।
4. श्री जैनेन्द्र चंदेल, रसायनज्ञ, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
5. श्री रजनीश पटेल, रसायनज्ञ, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
6. श्री प्राचीर दीक्षित, सीनियर सॉल्यूशन्स आर्किटेक्ट, पर्यावरण निगरानी केन्द्र, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
7. श्री सुमित छेत्री, कंसल्टेंट, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल।
8. श्री अतुल खरे, कंसल्टेंट, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल।

बैठक चर्चा के बिंदु निम्नानुसार है:-


1. सर्वप्रथम माननीय एन.जी.टी. के आदेश में उल्लेखित निर्देशों के पालनार्थ बैठक में चर्चा की गई:-
 - (i) वायु प्रदूषण से एनकेप शहरों को प्रभावित करने वाले शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के Airshed area की पहचान करना ।
 - (ii) एनकेप शहरों के परिवेशीय वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक एवं एयरशेड एरिया को ध्यान में रखते हुये Graded Response Action Plan (GRAP) तैयार करना।
 - (iii) Action Plan में विभिन्न Stakeholders के उत्तरदायित्व कानिर्धारण एवं क्रियान्वयन किया जावे।
 - (iv) समिति को Factual and Action Taken Report 06 सप्ताह में प्रस्तुत करना है।
 - (v) माननीय NGT प्रकरण क्र. 181 के अंतर्गत दिये गये आदेशों (Order date- 07.01.2026) के पालनार्थ आवश्यक कार्यवाहीकरेगी।
 - (vi) मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ऑर्डिनेशन एवं लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिये नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा।
2. समिति के सदस्यों को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एनकेप से संबंधित भोपाल शहर की परिवेशीय वायु गुणवत्ता संबंधी स्थिति तथा कार्यवाही विवरण का प्रस्तुतीकरण किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के 07 शहरों को एनकेप में शामिल किया गया है जो क्रमशः भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर एवं देवास है। वर्तमान में सिंगरौली को भी नॉन अटेनमेंट सिटी में चिन्हित किया गया है।
3. नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का उद्देश्य -
 - एनकेप के अंतर्गत वर्ष 2025-26 तक पार्टिकुलेट मैटर (पी.एम.10 के स्तर में 40% तक कमी (आधार वर्ष 2019-20) या राष्ट्रीय राजपत्र में प्रकाशित परिवेशीय वायु गुणवत्ता के निर्धारित मानक (60µg/m³Annual) की उपलब्धि हासिल करने का संशोधित लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
 - 15 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत मिलियन प्लस शहरों (भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर) को आबंटित राशि का 100% प्राप्त करने के लिये प्रतिवर्ष पी.एम.10 एवं गुड डेज में 15 % सुधार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

4. बैठक के दौरान समिति के सदस्यों को विगत वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास एवं सागर की परिवेशीय वायु गुणवत्ता की स्थिति से अवगत कराया गया।

परिवेशीय वायु गुणवत्ता की स्थिति (पी.एम.10)



PM ₁₀ Annual Average in(µg/m ³)				
Sr. No.	City	2023-24	2024-25	Improvement % (Reduction in PM10 level)
1	Bhopal	113	110	3
2	Indore	99	108	-9
3	Jabalpur	91	88	3
4	Gwalior	136	125	8
5	Ujjain	84	79	6
6	Dewas	99	83	16
7	Sagar	74	82	-11

Annual Average (Manual + CAAQMS).



Air Quality Index (AQI) at NCAP CAAQMS Locations (Sep2024-Feb26) BHOPAL

S.No.	Date	Bhopal, Paryavaran Parisar	Bhopal, Collectorate Office	Bhopal, T T Nagar	Bhopal			
					AQI	PM10 (µg/m ³)	PM2.5 (µg/m ³)	CO (mg/m ³)
1	Sep-24	61	68	67	66	65.10	27.17	0.55
2	Oct-24	130	121	123	123	131.75	56.48	0.86
3	Nov-24	254	216	211	227	192.69	98.62	1.14
4	Dec-24	184	174	171	174	151.90	79.91	0.92
5	Jan-25	156	114	128	133	125.28	62.66	0.96
6	Feb-25	123	93	113	111	115.68	35.81	0.71
7	Mar-25	103	93	117	104	101.24	26.71	0.71
8	Apr-25	112	103	130	116	120.41	37.10	0.70
9	May-25	69	88	102	86	80.43	25.91	0.56
10	Jun-25	64	85	70	73	72.16	20.89	0.50
11	Jul-25	47	57	58	53	52.73	15.28	0.53
12	Aug-25	58	45	56	52	48.89	18.66	0.51
13	Sep-25	54	52	63	55	53.01	21.06	0.59
14	Oct-25	117	131	118	121	113.56	51.83	0.68
15	Nov-25	182	191	228	198	185.10	89.38	1.03
16	Dec-25	177	166	153	166	161.47	74.36	0.95
17	Jan-26	182	137	142	154	151.67	70.88	0.87
18	Feb-26	122	116	109	115	120.85	48.75	0.81



Source- MPPCB ERC website

उपरोक्त परिणामों के अवलोकन के उपरांत पाया गया कि शीतकाल के दौरान PM2.5 & PM10 के परिणाम ग्रीष्मकालीन की अपेक्षा अधिक पाये गये।





- वर्तमान में 02 शहरों की सोर्स अप्रोशमेंट स्टडी पूर्ण हो चुकी है। भोपाल में मुख्य रूप से प्रदूषण के घटक पी.एम. 10 एवं पी.एम. 2.5 पाये गये हैं। तालिका **संलग्नक 10** अनुसार है।
 - ए.आर.ए.आई द्वारा सोर्स अप्रोशमेंट स्टडी में दिये गये एक्शन प्लान अनुसार कार्य विभिन्न स्टेकहोल्डरों द्वारा किये जाना प्रस्तावित है, तदनुसार कार्य किये जाने पर शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार संभव हो सकेगा। एक्शन प्लान की प्रति **संलग्नक 01** है।
5. समिति के समक्ष भोपाल शहर के लिये पूर्व में किये गये निरीक्षण के आधार पर प्रस्तावित इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम प्लान एवंग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-NCR), ACTION PLAN OF ARAI PUNE प्रदर्शित किया गया जिसकी Summary **संलग्नक 11** अनुसार है। उक्त के आधार पर समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यों को प्राथमिकता के तौर पर किये जाने की आवश्यकता के संबंध में अनुशंसाएं दी गईं -

- सबसे पहले रोड डस्ट एवं व्हीक्यूलर इमीशन्स को नियंत्रित किये जाने हेतु नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं परिवहन विभाग से उपस्थित अधिकारियों के साथ चर्चानुसार योजना लागू किये जाने के लिये आवश्यक कदम उठाने पर बल दिया गया।
- रोड डस्ट साफ किये जाने हेतु प्रयुक्त स्वीपिंग मशीन ब्लोअर की जगह सक्शन की जाने वाली स्वीपिंग मशीन उपयोग की जाये तथा रोड की क्लीनिंग आउटर लेन पर किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं फुटपाथ एवं किनारों पर end-to-end पेबिंग ब्लॉक लगाये जायें। सड़क के दोनों तरफ फुटपाथों पर एक निर्धारित चौड़ाई तक पेवर्स ब्लॉक लगाए जाने के बाद पेवर्स ब्लॉक्स जितनी चौड़ाई में लगाया गया हो उतनी ही चौड़ाई में अथवा उसकी आधी चौड़ाई में हर्ब्स (घांस) की कार्पेट तथा इस कार्पेट के बीच-बीच में श्रब्स (बोगनवेलिया, कनेर इत्यादि) के साथ साथ ऐसे पेड़ लगाए जाना सुनिश्चित किया जाये जिसकी कैनोपी घनी हो, बायोमास ज्यादा हो, चौड़ी पत्तिया हो; जैसे पीपल, आम, महुआ, इमली इत्यादि। पेवर्स के साथ-साथ हर्ब्स, श्रब्स एवं पेड़ों का विकास करने से धूल के कण ज्यादा से ज्यादा अवशोषित हो सकेंगे तथा यह भविष्य में फूड चैन का कार्य करते हुए एक अच्छा इकोसिस्टम का निर्माण करने में सक्षम कदम हो सकता है।
- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से उपस्थित अधिकारी द्वारा भोपाल शहर में अवैध निर्माण, बिल्डिंग निर्माण एवं परमिशन हेतु कार्यों पर नियंत्रण हेतु टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट को भी बैठक में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया।
- व्हीक्यूलर इमीशन्स को नियंत्रित किये जाने हेतु परिवहन विभाग से उपस्थित अधिकारी द्वारा लोकल ट्रेफिक पुलिस की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने हेतु कहा गया।
- भोपाल शहर की सोर्स अपॉर्शमेंट स्टडी के संबंध में विस्तृत चर्चा एवं निष्कर्ष के लिये अगली बैठक में ए.आर.ए.आई, पुणे के प्रतिनिधि को बुलाने हेतु कहा गया।
- भोपाल शहर की परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग किये जाने हेतु CAAQMS की संख्या बढ़ाई जाये तथा CAAQMS लगाये जाने के पूर्व उपयुक्त स्थलों का चयन करने हेतु पूर्व में उपलब्ध डाटा एवं मैनुअल मॉनिटरिंग डाटा का भी अवलोकन किया जाये।
- भोपाल शहर की सोर्स अपॉर्शमेंट स्टडी के अन्तर्गत चिन्हित 21 हॉट-स्पॉट के भौतिक परीक्षण हेतु ज्वाइंट कमेटी के सदस्यों द्वारा भ्रमण एवं निरीक्षण कार्य किया जायेगा, जिससे कि समुचित एक्शन प्लान बनाया जा सके। (संलग्नक 07)

- भोपाल शहर के लिये Graded Response Action Plan बनाते समय प्रारंभिक श्रेणी Moderate AQI रखी जाये जिससे कि NCR- Delhi जैसे हालात बनने के पूर्व ही परिस्थितियों पर नियंत्रण रखा जा सके।
- समिति द्वारा Graded Response Action Plan एवं Long Term Action Plan को बनाये जाने हेतु जिला स्तरीय समिति के सदस्य को भी शामिल कर कार्यवाही की जायेगी।

समिति द्वारा भोपाल के अतिरिक्त एनकेप के अन्य शहरों की बैठक प्रथक से आयोजित की जायेगी।

समिति

1. डॉ. रवि प्रकाश मिश्रा, सेवा निवृत्त, एडिशनल डायरेक्टर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।

- 2 श्री शिशिर गोमावत, अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल।

3. श्री किरण शर्मा, उप आयुक्त परिवहन (शिकायत), कैम्प कार्यालय, भोपाल।

4. डॉ. सत्या, वैज्ञानिक ई/ एडिशनल डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायुपरिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।

5. डॉ. सुब्रता पाणी, प्रयोगशाला समन्वयक एवं प्रभारी अधिकारी, पर्यावरण अनुसंधान प्रयोगशाला, एफको, भोपाल।
6. श्री पी.सी. उचारिया, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी(प्रमुख वैज्ञानिक संवर्ग), मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।

Action Plan

Table ES-4 presents the proposed air quality action plan for Bhopal city. The action plan constitutes sector wise suggestions along with executing agency / authority for immediate and short to mid-term actions

Table ES-4 Proposed Air quality action plan for Bhopal

Sector	Control Actions	Responsible Agency / Authority	Time Frame
Transport	A) Management		
	TR1. Congestion Management: Identify the hotspot locations of traffic congestion. Introduce traffic actuated signals at such locations. Consider the one-way routes during peak hours at these locations. Also, regulate eateries along the kerb side, especially small ones to avoid traffic congestions.	RTO, Bhopal	Immediate
	TR2. Parking Policy: Formulate vehicle parking policy and ensure its effective implementation. Provide parallel parking system along the major roads of the town. Enforce strict action and penalty for vehicles parked in non-parking areas.	BMC / RTO, Bhopal	6 months
	TR3. Public transport: Improve the public transport infrastructure such as strengthening and modernization of fleet of buses (procurement of new buses), implementation of plan for metro and increase coverage as per plan.	BMC, MPMRCL	3 years
	TR4. Prepare and implement zonal plans to develop an NMT network. Introducing cycle tracks along with the roads	BMC	1-2 years
	TR5. Declare NO-vehicle zones in hot-spots, university / school premises.	BMC / University / School	6 months
	TR6. Strict actions against visibly polluting vehicles (i.e. vehicles without PUC certificates) impose penalty and launch extensive awareness drive against polluting vehicles.	RTO, Bhopal	Immediate

Sector	Control Actions	Responsible Agency / Authority	Time Frame
	TR7. Examine existing framework for removing broken down buses or trucks from roads and create a system for speedy removal and ensuring minimal disruption to traffic from such buses or trucks.	BMC	6 months
	B) Technology		
	TR8. Improve and strengthen PUC program. (SMS based system to alerts, Linking of PUC centres with remote server and elimination of manual intervention in PUC testing, Fitness and calibration audits of PUC centres adopted with defined team for verification, Integration of on-board diagnostic (OBD) system fitted in new vehicles with vehicle inspection, Linking of PUC certificates with annual vehicle insurance, etc.)	RTO, Bhopal	1 year
	TR9. Encourage adoption of cleaner fuels (CNG). CNG infrastructure for auto gas supply in the city and transition of public transport vehicles to CNG mode	BMC / Oil Companies/ GAIL / State Government	3 years
	TR10. The EV adoption initiative for public transport vehicles (buses) and government office-vehicles	BMC, Government Offices	3 years
	TR11. Encouraging EV adoption for personal and commercial vehicles through incentivization or tax relaxation.	State Government, RTO	3 years
Road Dust	RD1. End-to-end paving of roads along with black-topping and maintaining potholes free roads.	PWD / BMC	Immediate / Continuous
	RD2. Road design: The road design should strictly comply with URDPFI / IRC guidelines for urban roads	PWD / BMC	Immediate / Continuous
	RD3. Repair the defects in road to keep them pot holes free as per the PWD guidelines.	PWD / BMC	Immediate / Continuous
	RD4. Immediate lifting of solid waste generated from desilting and cleaning of municipal drains for its disposal	BMC	Immediate / Continuous
	RD5. Implement truck loading guidelines; use of appropriate enclosures for haul trucks; gravel paving for all haul routes	BMC	6 months

Sector	Control Actions	Responsible Agency / Authority	Time Frame
	RD6. All the canals/nallah's side roads should be concrete / brick lined.	BMC	1 year
	Regular cleaning of roads and water spraying to suppress the dust. Remove road dust/silt regularly by using mechanical sweepers.	BMC	Immediate / Continuous
	RD7. Identify road stretches with high dust generation and use Foggers to suppress the dust.	BMC	6 months
	RD8. Greening of traffic corridors, open areas, gardens, community places, schools and housing societies	BMC	1 year
Industries	IN1. All potential industries to be implemented with Continuous Emission Monitoring System (CEMS). Ensure regular calibration and working of this system and its online reporting is required.	MPPCB	1 year
	IN2. Assess the number of industrial units that are non-compliant and prepare unit/plant wise action plan for time bound compliance.	MPPCB	Immediate and Continuous
	IN3. Intensive polluting industries to be restricted from operations within urban zone. Restriction of any new red category industry to open within urban zone.	MPPCB	Immediate
	IN4. Strict compliance to be followed on industrial open waste burning.	MPPCB	Immediate
	IN5. Control of Fugitive Emissions: <ul style="list-style-type: none"> • Use of hoods and enclosure for all process equipment, • Scrap management program for the prevention or minimization of waste and other feed materials. • Use of covered or enclosed conveyors and transfer points 	MPPCB	Immediate
	IN6. Adoption of Cleaner Fuels: <ul style="list-style-type: none"> • Cleaner fuel implementation to be encouraged and incentivized. • Discourage the fuels with high sulphur content. • A favourable taxation and pricing policy for mass adoption. 	MPPCB	1 year
	IN7. Ensuring installation/Up-gradation and operation of air pollution control devices in industries	MPPCB	6 months
	WB1. Improving door to door waste collection efficiency to 100%.	BMC	1 year

Sector	Control Actions	Responsible Agency / Authority	Time Frame
Open Waste Burning	WB2. Enforcing a complete ban on open waste burning. A heavy penalty and stringent action against such activities.	BMC	Immediate
	WB3. Non-recyclable waste with a calorific value of 1,500 kcal or more must not be disposed of into landfills and must be used solely to generate energy	MPPCB, BMC	Immediate / Continuous
	WB4. Collection of horticulture waste (biomass) and its disposal as per SWM rules, 2016, following composting and gardening approach	BMC	Immediate / Continuous
	WB5. Encouraging the reduce, recycle and reuse policy for waste in city	BMC / State Government	Immediate / Continuous
	WB6. Organic waste conversion (OWC) units can be installed in the city at a decentralized scale especially in more prominent societies and colonies based on the MSW characteristics of the area.	BMC	1 year
	WB7. Effective management of landfill sites through increasing the recycling rate, installing waste to energy conversion plants, restricting illegal waste dumping, proper disposal of hazardous waste, as per Hazardous waste management rule 2016, to prevent greenhouse gas emissions from site	BMC	1 year
	WB8. Reduce the VKT of waste collection vehicles with route optimization technique.	BMC	6 months
	Construction	CN1. Adoption of Good Construction Practices (GCP) to minimize the waste generation. Promote recycling of materials. Encourage the use of environmentally friendly material. Ensure compliance check for GCP regularly	BMC / MPPCB
CN2. Strict enforcement of CPCB guidelines for construction activity such as use of green screens, side covering of digging sites, etc.		BMC / MPPCB	Continuous
CN3. Ensure transportation of construction materials in covered vehicles.		BMC / Site Developer	Immediate
CN4. Restriction on storage of construction materials along the road side.		BMC	Immediate
CN5. Provide a control measures against fugitive emissions such as a use of covered or enclosed conveyors while conveying the material.		BMC / MPPCB	Immediate

Sector	Control Actions	Responsible Agency / Authority	Time Frame
	CN6. To maintain facility of tar road inside the construction site for movement of vehicles carrying construction material	BMC / Site Developer	Immediate
	CN7. Develop mechanism for ensuring periodic maintenance of construction equipment and vehicles.	BMC / Site Developer	3 months
	CN8. Develop and implement dust control measures such as site covering, fugitive emission control, installing air pollution controlling devices for all types of construction activities i.e. buildings and infrastructure.	BMC	1 year
	CN9. C&D waste should be sent to construction and demolition processing facility only. Strict action against non-compliance of the same on any individual or developers.	BMC	Immediate
	CN10. Mandatory use of RMC plants at large construction sites and preparation of guidelines for dust control measures for operation of RMC plants.	BMC / MPPCB	1 Year
DG sets	DG1. Ensure uninterrupted electric supply to avoid the use of DG sets, especially in commercial and industrial zones.	State Electricity Board	1 Year
	DG2. Curtail use of DG Sets in social events by providing temporary electric connections	BMC / State Electricity Board	Immediate
	DG3. Discourage use of DG sets in cellular towers and encourage use of alternate power (e.g. Battery)	BMC	6 months
	DG4. Develop the city into a Renewable Energy Hub with a focus on creation of RE Equipment Manufacturing Eco-system as per Madhya Pradesh Renewable energy policy	BMC / State Government	5 years
	DG5. Leverage rooftop solar program to reduce dependence on DG sets	BMC	1 year
	DG6. Installation of Retrofitted Emission Control Devices (RECD) to diesel generators as per CPCB guidelines	MPPCB	1 year
Residential	RS1. Ensure easy availability of affordable cleaner cooking fuels (LPG/PNG/biogas) for all to achieve 100% LPG adoption.	Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs and Oil Companies (Indian Oil/HP/BP, etc.)	1-3 years

Sector	Control Actions	Responsible Agency / Authority	Time Frame
	RS2. Expanding coverage of LPG under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY).	State / Central Government	1-2 years
	RS3. Introduce schemes for providing subsidized LPG connections as well as providing means of finance to small tea vendors/hawkers who are using kerosene stoves in order to reduce emissions from burning of kerosene	State / Central Government	1-2 years
	RS4. Introduction of improved <i>Chullahs</i> (low emission <i>Chullahs</i>) in rural areas	BMC, NGOs	1 year
	RS5. Encouraging use of electricity for domestic cooking. (for example: Induction cooktops)	Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs	2 year
	RS6. Provide centralized solar based hot water in slum areas to avoid solid fuel usage for water heating purposes	BMC	1 year
Hotel, restaurant and bakeries	HR1. Coal and wood-based cooking in restaurants to be shifted to electricity and LPG.	Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs and Oil Companies (Indian Oil/HP, etc.)	1-2 years
	HR2. Promoting mini LPG cylinders to small open eateries.	Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs and Oil Companies (Indian Oil/HP, etc.)	1 year
Brick kilns	BK1. Ensure the compliance checking routinely. Provide design specifications for improved kilns.	MPPCB / BMC	Immediate
	BK2. Enforce restrictions for the operations of brick kilns in urban zone. Zig-zag technology to be encouraged and promoted.	MPPCB / BMC	1-3 years
	BK3. Closure of unauthorized brick kilns, if any.	MPPCB	Immediate
Crematoria	CR1. Convert all existing traditional crematoria (wood based) to electric. Installing new electric crematoria as per requirement.	BMC	1 year
Public awareness	PA1. Launch Public awareness campaign for air pollution control, vehicle maintenance, minimizing use of personal vehicle, lane discipline, etc.	BMC, MPPCB, NGOs	Immediate
	PA2. Encourage the use of public transport for daily commute.	BMC, MPPCB, NGOs	Immediate

Sector	Control Actions	Responsible Agency / Authority	Time Frame
	PA3. Education program to create awareness among citizens through various mass media tools, such as local newspapers, local news channels on TV or radio, street plays, social media platforms, citizen engagement events, recording announcements through waste collection vehicle, organizing awareness seminars at the community level	BMC, MPPCB, NGOs	Immediate
IT enabled services	IT1. Use of mobile application for complaint registration and grievance redressal regarding air pollution	BMC	1 year
CAAQMS	MS1. Increase the number of air quality monitoring stations	MPPCB	1-2 year

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल- 462016 (म.प्र.)
Tel: 0755-2464428, 2466191 Fax: 0755-2463742

ई-मेल द्वारा

क्रमांक/...16...../एनकेप-मॉ.शा./फा.नं. 07/ 2025 भोपाल, दिनांक 21/03/2025
प्रति,

अपर मुख्य सचिव,
म.प्र. शासन,
परिवहन विभाग,
भोपाल - (म.प्र.)

अपर मुख्य सचिव,
म.प्र. शासन,
लोक निर्माण विभाग,
भोपाल - (म.प्र.)

प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन,
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
भोपाल - (म.प्र.)


प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन,
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
भोपाल - (म.प्र.)

प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन,
औद्योगिक नीति एवं निवेश
प्रोत्साहन विभाग,
भोपाल - (म.प्र.)

प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन,
पर्यावरण विभाग,
भोपाल - (म.प्र.)

विषय :- एनकेप के अन्तर्गत भोपाल शहर की सोर्स अपॉर्शमेंट स्टडी में वायु गुणवत्ता सुधार हेतु की गई अनुशंसाओं के क्रियान्वयन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत भोपाल शहर की सोर्स अपॉर्शमेंट स्टडी का कार्य ए.आर.ए. आई., पुणे द्वारा पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसमें भोपाल शहर में वायु प्रदूषण के मुख्य प्रदूषकों एवं स्रोतों की पहचान करते हुये, वायु गुणवत्ता सुधार हेतु सम्बन्धित विभागों के लिये तत्कालीन एवं आगामी वर्षों में किये जाने वाले मुख्य कार्यों के क्रियान्वयन हेतु अनुशंसा की गई है। अतः विभागों से प्रस्तावित कार्य बिंदुओं के अनुरूप कार्य किये जाने का अनुरोध है, जिससे आगामी वर्षों में भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता प्रभावित न हो।


(ए. ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर रिपोर्ट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क शाखा, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर रिपोर्ट की दो प्रति पुस्तकालय में रखे जाने हेतु।

कार्यालय कमिश्नर भोपाल संभाग भोपाल
डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल

Phone No. 0755-2540399 , Fax 0755-2540772, E-mail - commbho@nic.in

क्रमांक १०३३/सामा-३/२०१८

भोपाल, दिनांक ३०/११/२०१८

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा वायु अधिनियम की धारा १८(१) (बी) के अन्तर्गत भोपाल शहर को नॉन अटेनमेंट सिटी चिन्हित करते हुये वायु अधिनियम, १९८६ की धारा १८(१) (बी) के अन्तर्गत वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु एक्शन प्लान लागू करने संबंधी निर्देश दिनांक ०१.०७.२०१६ को जारी किये गये हैं। उक्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, म.प्र.शासन की अध्यक्षता में दिनांक १६.०९.२०१६ को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार एक्शन प्लान में सम्मिलित कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

- | | |
|--|---------|
| १. संभाग आयुक्त, भोपाल | अध्यक्ष |
| २. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल | सदस्य |
| ३. कलेक्टर जिला भोपाल | सदस्य |
| ४. आयुक्त नगर निगम, भोपाल | सदस्य |
| ५. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल | सदस्य |
| ६. मुख्य कार्यपाल अधिकारी, भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, भोपाल | सदस्य |
| ७. प्रबंध संचालक, ए.के.व्ही.एन., भोपाल | सदस्य |
| ८. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, भोपाल | सदस्य |
| ९. जिला खाद्य अधिकारी, भोपाल | सदस्य |
| १०. मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, भोपाल | सदस्य |
| ११. अधीक्षण यंत्री, राजधानी परियोजना प्रशासन, भोपाल | सदस्य |
| १२. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, भोपाल | सदस्य |
| १३. संयुक्त संचालक, ग्राम तथा नगर विवेक, भोपाल | सदस्य |
| १४. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल | सदस्य |
| १५. संयुक्त संचालक, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास, भोपाल | सदस्य |

(2७)

- | | |
|--|--------|
| 16. टैरेटरी मैनेजर (एपीजी) इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, भोपाल | सदस्य |
| 17. टैरेटरी मैनेजर (एपीजी) भारत पेट्रोलियम, भोपाल | सदस्य |
| 18. क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल | संयोजक |

[Signature]
आयुक्त,

भोपाल संभाग, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30-11/2018

पृ0कमांक ७०34 / सामा-3 / 2018

प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त नगर निगम, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य कार्यपाल अधिकारी, भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रबंध संचालक, ए.के.व्ही.एन., भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. जिला खाद्य अधिकारी, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. अधीक्षण यंत्री, राजधानी परियोजना प्रशासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
11. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12. संयुक्त संचालक, ग्राम तथा नगर निवेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
14. संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
15. टैरेटरी मैनेजर (एपीजी) इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
16. टैरेटरी मैनेजर (एपीजी) भारत पेट्रोलियम, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
17. क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

४

[Signature]
आयुक्त,

भोपाल संभाग, भोपाल

Q-16017/99/2020-CPA
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Control of Pollution Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
 Aliganj, JorBagh Road,
 New Delhi-110003

Date:15th April, 2024

Office Memorandum

Subject: Strengthening of National Clean Air Programme (NCAP) through periodical review by State and City Level Committees - reg.

The undersigned is directed to refer the implementation of National Clean Air Programme (NCAP) by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) to improve air quality in 131 cities of 24 states/UTs through implementation of National, State and City level clean air action plans by engaging all stakeholders.

2. MoEF&CC has constituted National Level Committees (Apex, Steering, Monitoring & Implementation Committees) for monitoring the progress of implementation and providing guidance to the program.
3. Further, respective State Governments/UTs and 131 cities/ ULBs have constituted Steering committee, Air Quality Monitoring Committee (AQMC)/State-level Monitoring and Implementation Committee and District/City level Monitoring and Implementation Committee (DLMIC) for Monitoring and implementation of NCAP at state level.
4. In order to ensure effective implementation of NCAP at the State and City level for achieving the outcomes as per the NCAP objective, it is important that meetings of the Committees at State and City levels are convened as per following frequency:


S. No.	Committee	Chairmanship	Frequency of Meetings
1	State Level Steering Committee	Chief Secretary	Quarterly
2	Air Quality Monitoring Committee (AQMC)/ State-level Monitoring and Implementation Committee (SLMIC)	ACS/Principal Secretary, Env. Dept.	Bi-monthly
3	District/ City-level Implementation Committee (DLMIC)	District Magistrate/ Commissioner, Municipal Corporation	Monthly

5. The State-wise status of the meetings of above mentioned Committees for FY 2023-24 as uploaded on PRANA portal is enclosed.

6. In view of the above, it is requested to ensure that meetings of these Committees (State and City level) are conducted regularly to facilitate coordination among various implementing agencies/departments and effective implementation of NCAP. It is also requested to ensure minutes of meetings are uploaded on the PRANA portal in timely manner.

7 This issues with the approval of the Competent Authority.

Yours sincerely,



(Dr. Prashant Gargava)
Director, NCAP

To:

1. Additional Chief Secretary /Principal Secretary, Environment Department
2. Member Secretary, Central Pollution Control Board
3. Member Secretary, SPCB/PCCs
4. Municipal Commissioners, 131 NCAP Cities

Copy to:

- i. Additional Chief Secretary /Principal Secretary, Urban Development Department
- ii. PPS to AS (NPG), MoEF&CC
- iii. Div. Head, AQM & NCAP, CPCB
- iv. Nodal Officers, SPCB/PCCs
- v. Nodal Officers, 131 NCAP Cities



क्षेत्रीय कार्यालय
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.)
Phone No. 0755-2466392 | E-mail :- romppcb_bpl@rediffmail.com



क्रमांक ४४२/क्षेका/प्रनिबो/फाइल नं. भोपाल, दिनांक ०५/०५/२०२५

प्रति,

मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड (भेल)

पिपलानी, तहसील हुजुर

जिला भोपाल म.प्र.।

विषय:- नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु ईंधन में क्लीन फ्यूल का उपयोग हेतु निर्देश।

- संदर्भ:-
1. संभागयुक्त, भोपाल संभाग की बैठक दिनांक 20.11.2024
 2. बोर्ड का पत्र क्र. 2733 दिनांक 29.11.2024

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है भोपाल शहर को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (नॉन अटेनमेंट सिटी) के अंतर्गत शामिल किया गया है। जिसके अंतर्गत वर्ष 2019 की स्थिति में परिवेशीय वायु गुणवत्ता में 30% का सुधार करने का लक्ष्य है। आपका उद्योग भोपाल शहर में नगर निगम सीमा में स्थापित है एवं इसके चारों ओर घनी आबादी क्षेत्र आता है। आपके उद्योग संचालन में ईंधन के रूप में डीजल का उपयोग किया जाता है जोकि वायु प्रदूषणकारक है एवं इससे भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है।

लेख है कि भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु परंपरागत ईंधन के स्थान पर क्लीन फ्यूल का उपयोग किया जाना आवश्यक है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि शीघ्र क्लीन फ्यूल का उपयोग इकाई में ईंधन के रूप में प्रारंभ किया जावे। इस संबंध में परंपरागत ईंधन के स्थान पर क्लीन फ्यूल का उपयोग करने हेतु समयवद्ध कार्ययोजना 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

o/c क्षेत्रीय अधिकारी

क्रमांक ४४४/क्षेका/प्रनिबो/फाइल नं. भोपाल, दिनांक ०५/०५/२०२५
1. महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल सूचनार्थ प्रेषित।

o/c क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.)

Phone No. 0755-2466392 | E-mail :- romppcb_bpl@rediffmail.com



कमांक ४४९ /क्षेका/प्रनिबो/फाइल नं. भोपाल, दिनांक ०५/०५/२०२५

प्रति,

मेसर्स अनिक मिल्क लिमिटेड,

प्लाट नं. ९८, सेक्टर-१, औद्योगिक क्षेत्र

गोविन्दपुरा, तहसील हुजूर जिला भोपाल

विषय:- नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु ईंधन में क्लीन फ्यूल का उपयोग हेतु निर्देश।

संदर्भ:- १. संभागायुक्त, भोपाल संभाग की बैठक दिनांक २०.११.२०२४

२. बोर्ड का पत्र क्र. २७३३ दिनांक २९.११.२०२४

---००---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है भोपाल शहर को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (नॉन अटेनमेंट सिटी) के अंतर्गत शामिल किया गया है। जिसके अंतर्गत वर्ष २०१९ की स्थिति में परिवेशीय वायु गुणवत्ता में ३०% का सुधार करने का लक्ष्य है। आपका उद्योग भोपाल शहर में नगर निगम सीमा में स्थापित है एवं इसके चारों ओर घनी आबादी क्षेत्र आता है। आपके उद्योग संचालन में ईंधन के रूप में बॉयोब्रेकेट्स का उपयोग किया जाता है जोकि वायु प्रदूषणकारक है एवं इससे भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है।

लेख है कि भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु परंपरागत ईंधन के स्थान पर क्लीन फ्यूल का उपयोग किया जाना आवश्यक है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम १९८१ के प्रावधानों के अंतर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि शीघ्र क्लीन फ्यूल का उपयोग इकाई में ईंधन के रूप में प्रारंभ किया जावे। इस संबंध में परंपरागत ईंधन के स्थान पर क्लीन फ्यूल का उपयोग करने हेतु समयवद्ध कार्ययोजना १५ दिवस के भीतर इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

पृ. कमांक ४९० /क्षेका/प्रनिबो/फाइल नं. भोपाल, दिनांक ०५/०५/२०२५

१. महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.)

Phone No. 0755-2466392 | E-mail :- romppcb_bpl@rediffmail.com



कमांक 891 /क्षेका/प्रनिबो/फाइल नं. भोपाल, दिनांक 04/04/2025

प्रति,

मेसर्स परमाली वैलेस प्रा.लि.

होशंगाबाद रोड़, औद्योगिक क्षेत्र मैदा मिल,

तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र.।

विषय:- नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु ईंधन में क्लीन फ्यूल का उपयोग हेतु निर्देश।

संदर्भ:- 1. संभागयुक्त, भोपाल संभाग की बैठक दिनांक 20.11.2024

2. बोर्ड का पत्र क. 2733 दिनांक 29.11.2024

---00---


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है भोपाल शहर को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (नॉन अटेनमेंट सिटी) के अंतर्गत शामिल किया गया है। जिसके अंतर्गत वर्ष 2019 की स्थिति में परिवेशीय वायु गुणवत्ता में 30% का सुधार करने का लक्ष्य है। आपका उद्योग भोपाल शहर में नगर निगम सीमा में स्थापित है एवं इसके चारों ओर घनी आबादी क्षेत्र आता है। आपके उद्योग संचालन में ईंधन के रूप में बॉयोब्रेकेट्स का उपयोग किया जाता है जोकि वायु प्रदूषणकारक है एवं इससे भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है।

लेख है कि भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु परंपरागत ईंधन के स्थान पर क्लीन फ्यूल का उपयोग किया जाना आवश्यक है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि शीघ्र क्लीन फ्यूल का उपयोग इकाई में ईंधन के रूप में प्रारंभ किया जावे। इस संबंध में परंपरागत ईंधन के स्थान पर क्लीन फ्यूल का उपयोग करने हेतु समयवद्ध कार्ययोजना 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।


क्षेत्रीय अधिकारी

पृ. कमांक 892 /क्षेका/प्रनिबो/फाइल नं. भोपाल, दिनांक 04/04/2025
1. महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल सूचनार्थ प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.)

Phone No. 0755-2466392 | E-mail :- romppcb_bpl@rediffmail.com



कमांक 893 /क्षेका/प्रनिबो/फाइल नं. भोपाल, दिनांक 04/09/2025

प्रति,

मेसर्स सांची दुग्ध संघ
हबीबगंज, तहसील बैरसिया,
जिला भोपाल म.प्र.।

विषय:- नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु ईंधन में क्लीन फ्यूल का उपयोग हेतु निर्देश।

संदर्भ:- 1. संभागायुक्त, भोपाल संभाग की बैठक दिनांक 20.11.2024

2. बोर्ड का पत्र क्र. 2733 दिनांक 29.11.2024

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है भोपाल शहर को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (नॉन अटेनमेंट सिटी) के अंतर्गत शामिल किया गया है। जिसके अंतर्गत वर्ष 2019 की स्थिति में परिवेशीय वायु गुणवत्ता में 30% का सुधार करने का लक्ष्य है। आपका उद्योग भोपाल शहर में नगर निगम सीमा में स्थापित है एवं इसके चारों ओर घनी आबादी क्षेत्र आता है। आपके उद्योग संचालन में ईंधन के रूप में बॉयोब्रेकेट्स का उपयोग किया जाता है जोकि वायु प्रदूषणकारक है एवं इससे भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है।

लेख है कि भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु परंपरागत ईंधन के स्थान पर क्लीन फ्यूल का उपयोग किया जाना आवश्यक है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि शीघ्र क्लीन फ्यूल का उपयोग इकाई में ईंधन के रूप में प्रारंभ किया जावे। इस संबंध में परंपरागत ईंधन के स्थान पर क्लीन फ्यूल का उपयोग करने हेतु समयवद्ध कार्ययोजना 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।


क्षेत्रीय अधिकारी

पृ. कमांक 894 /क्षेका/प्रनिबो/फाइल नं. भोपाल, दिनांक 04/09/2025
1. महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल सूचनाार्थ प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड



पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.)
Phone No. 0755-2466392 | E-mail :- romppcb_bpl@rediffmail.com

क्रमांक 895 /क्षेका/प्रनिबो/फाइल नं. भोपाल, दिनांक 04/04/2025

प्रति,

मेसर्स नर्मदा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लिमिटेड,

प्लॉट नं० 103, सेक्टर-1, औद्योगिक क्षेत्र

गोविन्दपुरा, जिला भोपाल म.प्र.।

विषय:- नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु ईंधन में क्लीन फ्यूल का उपयोग हेतु निर्देश।

- संदर्भ:-
1. संभागायुक्त, भोपाल संभाग की बैठक दिनांक 20.11.2024
 2. बोर्ड का पत्र क्र. 2733 दिनांक 29.11.2024

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है भोपाल शहर को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (नॉन अटेनमेंट सिटी) के अंतर्गत शामिल किया गया है। जिसके अंतर्गत वर्ष 2019 की स्थिति में परिवेशीय वायु गुणवत्ता में 30% का सुधार करने का लक्ष्य है। आपका उद्योग भोपाल शहर में नगर निगम सीमा में स्थापित है एवं इसके चारों ओर घनी आबादी क्षेत्र आता है। आपके उद्योग संचालन में ईंधन के रूप में बॉयोब्रेकेट्स का उपयोग किया जाता है जोकि वायु प्रदूषणकारक है एवं इससे भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है।

लेख है कि भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु परंपरागत ईंधन के स्थान पर क्लीन फ्यूल का उपयोग किया जाना आवश्यक है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि शीघ्र क्लीन फ्यूल का उपयोग इकाई में ईंधन के रूप में प्रारंभ किया जावे। इस संबंध में परंपरागत ईंधन के स्थान पर क्लीन फ्यूल का उपयोग करने हेतु समयवद्ध कार्ययोजना 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

o/c क्षेत्रीय अधिकारी

पृ. क्रमांक 896 /क्षेका/प्रनिबो/फाइल नं. भोपाल, दिनांक 04/04/2025
1. महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.)
Phone No. 0755-2466392 | E-mail :- romppcb_bpl@rediffmail.com



कमांक 897 /क्षेका/प्रनिबो/फाइल नं. भोपाल, दिनांक 04/04/2025

प्रति,

मेसर्स पीपुल्स हॉस्पिटल एंड कॉलेज (इंसीनेटर)

करोंद, भानपुर बायपास रोड़,

तहसील बैरसिया, जिला भोपाल म.प्र.।

विषय:- नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु ईंधन में क्लीन फ्यूल का उपयोग हेतु निर्देश।

- संदर्भ:-
1. संभागायुक्त, भोपाल संभाग की बैठक दिनांक 20.11.2024
 2. बोर्ड का पत्र क. 2733 दिनांक 29.11.2024

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है भोपाल शहर को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (नॉन अटेनमेंट सिटी) के अंतर्गत शामिल किया गया है। जिसके अंतर्गत वर्ष 2019 की स्थिति में परिवेशीय वायु गुणवत्ता में 30% का सुधार करने का लक्ष्य है। आपका उद्योग भोपाल शहर में नगर निगम सीमा में स्थापित है एवं इसके चारों ओर घनी आबादी क्षेत्र आता है। आपके उद्योग संचालन में ईंधन के रूप में डीजल का उपयोग किया जाता है जोकि वायु प्रदूषणकारक है एवं इससे भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है।

लेख है कि भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु परंपरागत ईंधन के स्थान पर क्लीन फ्यूल का उपयोग किया जाना आवश्यक है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि शीघ्र क्लीन फ्यूल का उपयोग इकाई में ईंधन के रूप में प्रारंभ किया जावे। इस संबंध में परंपरागत ईंधन के स्थान पर क्लीन फ्यूल का उपयोग करने हेतु समयवद्ध कार्ययोजना 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

01C क्षेत्रीय अधिकारी

पृ. कमांक 898 /क्षेका/प्रनिबो/फाइल नं. भोपाल, दिनांक 04/04/2025
1. महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल सूचनाथ प्रेषित।

01C क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.)

Phone No. 0755-2466392 | E-mail :- romppcb_bpl@rediffmail.com



क्रमांक 766/क्षेका/प्रनिबो/फाइल नं. भोपाल, दिनांक 02/04/2025

प्रति,

मेसर्स रमानी आईसकीम

प्लॉट नं. 46/47, सेक्टर-एच, औद्योगिक क्षेत्र,

गोविन्दपुरा, तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र.।

विषय:- नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु ईंधन में क्लीन फ्यूल का उपयोग हेतु निर्देश।

संदर्भ:- 1. संभागायुक्त, भोपाल संभाग की बैठक दिनांक 20.11.2024

2. बोर्ड का पत्र क्र. 2733 दिनांक 29.11.2024

---00---


उपरोक्त विषयावर्तगत लेख है भोपाल शहर को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (नॉन अटेनमेंट सिटी) के अंतर्गत शामिल किया गया है। जिसके अंतर्गत वर्ष 2019 की स्थिति में परिवेशीय वायु गुणवत्ता में 30% का सुधार करने का लक्ष्य है। आपका उद्योग भोपाल शहर में नगर निगम सीमा में स्थापित है एवं इसके चारों ओर घनी आबादी क्षेत्र आता है। आपके उद्योग संचालन में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग किया जाता है जोकि वायु प्रदूषणकारक है एवं इससे भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है।

लेख है कि भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु परंपरागत ईंधन के स्थान पर क्लीन फ्यूल का उपयोग किया जाना आवश्यक है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि शीघ्र क्लीन फ्यूल का उपयोग इकाई में ईंधन के रूप में प्रारंभ किया जावे। इस संबंध में परंपरागत ईंधन के स्थान पर क्लीन फ्यूल का उपयोग करने हेतु समयवद्ध कार्ययोजना 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।


क्षेत्रीय अधिकारी

पृ. क्रमांक 766 B /क्षेका/प्रनिबो/फाइल नं. भोपाल, दिनांक 02/04/2025
1. महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल सूचनार्थ प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.)
Phone No. 0755-2466392 | E-mail :- romppcb_bpl@rediffmail.com



कमांक 767/क्षेका/प्रनिबो/फाइल नं. भोपाल, दिनांक 02/04/2025

प्रति,

मेसर्स कुन्दन नमकीन

प्लॉट नं. 22/4ए, सेक्टर-एच, औद्योगिक क्षेत्र,

गोविन्दपुरा, तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र.।

विषय:- नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु ईंधन में क्लीन फ्यूल का उपयोग हेतु निर्देश।

संदर्भ:- 1. संभागायुक्त, भोपाल संभाग की बैठक दिनांक 20.11.2024
2. बोर्ड का पत्र क्र. 2733 दिनांक 29.11.2024

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है भोपाल शहर को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (नॉन अटेनमेंट सिटी) के अंतर्गत शामिल किया गया है। जिसके अंतर्गत वर्ष 2019 की स्थिति में परिवेशीय वायु गुणवत्ता में 30% का सुधार करने का लक्ष्य है। आपका उद्योग भोपाल शहर में नगर निगम सीमा में स्थापित है एवं इसके चारों ओर घनी आबादी क्षेत्र आता है। आपके उद्योग संचालन में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग किया जाता है जोकि वायु प्रदूषणकारक है एवं इससे भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है।

लेख है कि भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु परंपरागत ईंधन के स्थान पर क्लीन फ्यूल का उपयोग किया जाना आवश्यक है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि शीघ्र क्लीन फ्यूल का उपयोग इकाई में ईंधन के रूप में प्रारंभ किया जावे। इस संबंध में परंपरागत ईंधन के स्थान पर क्लीन फ्यूल का उपयोग करने हेतु समयवद्ध कार्ययोजना 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।


क्षेत्रीय अधिकारी

पृ. कमांक 768B/क्षेका/प्रनिबो/फाइल नं. भोपाल, दिनांक 02/04/2025
1. महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.)

Phone No. 0755-2466392 | E-mail :- romppcb_bpl@rediffmail.com



कमांक 768 B/क्षेका/प्रनिबो/फाइल नं. भोपाल, दिनांक 02/04/2025

प्रति,

मेसर्स हरिश नमकीन

21, काली परैड, छोला रोड़

जिला भोपाल म.प्र.।

विषय:- नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु ईंधन में क्लीन फ्यूल का उपयोग हेतु निर्देश।

- संदर्भ:-
1. संभागायुक्त, भोपाल संभाग की बैठक दिनांक 20.11.2024
 2. बोर्ड का पत्र क्र. 2733 दिनांक 29.11.2024

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है भोपाल शहर को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (नॉन अटेनमेंट सिटी) के अंतर्गत शामिल किया गया है। जिसके अंतर्गत वर्ष 2019 की स्थिति में परिवेशीय वायु गुणवत्ता में 30% का सुधार करने का लक्ष्य है। आपका उद्योग भोपाल शहर में नगर निगम सीमा में स्थापित है एवं इसके चारों ओर घनी आबादी क्षेत्र आता है। आपके उद्योग संचालन में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग किया जाता है जोकि वायु प्रदूषणकारक है एवं इससे भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है।

लेख है कि भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु परंपरागत ईंधन के स्थान पर क्लीन फ्यूल का उपयोग किया जाना आवश्यक है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि शीघ्र क्लीन फ्यूल का उपयोग इकाई में ईंधन के रूप में प्रारंभ किया जावे। इस संबंध में परंपरागत ईंधन के स्थान पर क्लीन फ्यूल का उपयोग करने हेतु समयवद्ध कार्ययोजना 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

o/c क्षेत्रीय अधिकारी

पृ. कमांक 768 B/क्षेका/प्रनिबो/फाइल नं. भोपाल, दिनांक 02/04/2025
1. महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल सूचनार्थ प्रेषित।

o/c क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.)
Phone No. 0755-2466392 | E-mail :- romppcb_bpl@rediffmail.com



क्रमांक 769A/क्षेका/प्रनिबो/फाइल नं. भोपाल, दिनांक 02/04/2025

प्रति,

मेसर्स राकेश नमकीन
प्लॉट नं. 22/1, औद्योगिक क्षेत्र,
काली परैड, जिला भोपाल म.प्र.।

विषय:- नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु ईंधन में क्लीन फ्यूल का उपयोग हेतु निर्देश।

संदर्भ:- 1. संभागायुक्त, भोपाल संभाग की बैठक दिनांक 20.11.2024
2. बोर्ड का पत्र क्र. 2733 दिनांक 29.11.2024

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है भोपाल शहर को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (जॉन अटेनमेंट सिटी) के अंतर्गत शामिल किया गया है। जिसके अंतर्गत वर्ष 2019 की स्थिति में परिवेशीय वायु गुणवत्ता में 30% का सुधार करने का लक्ष्य है। आपका उद्योग भोपाल शहर में नगर निगम सीमा में स्थापित है एवं इसके चारों ओर घनी आबादी क्षेत्र आता है। आपके उद्योग संचालन में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग किया जाता है जोकि वायु प्रदूषणकारक है एवं इससे भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है।

लेख है कि भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु परंपरागत ईंधन के स्थान पर क्लीन फ्यूल का उपयोग किया जाना आवश्यक है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि शीघ्र क्लीन फ्यूल का उपयोग इकाई में ईंधन के रूप में प्रारंभ किया जावे। इस संबंध में परंपरागत ईंधन के स्थान पर क्लीन फ्यूल का उपयोग करने हेतु समयवद्ध कार्ययोजना 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

OIC क्षेत्रीय अधिकारी

पृ. क्रमांक 769B/क्षेका/प्रनिबो/फाइल नं. भोपाल, दिनांक 02/04/2025
1. महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल सूचनार्थ प्रेषित।

OIC क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.)

Phone No. 0755-2466392 | E-mail :- romppcb_bpl@rediffmail.com



कमांक 770A/क्षेका/प्रनिबो/फाइल नं. भोपाल, दिनांक 02/04/2025

प्रति,

मेसर्स मनोहर डेयरी

प्लॉट नं. 6, सेक्टर-बी, औद्योगिक क्षेत्र,

गोविन्दपुरा, तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र.।

विषय:- नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु ईंधन में क्लीन फ्यूल का उपयोग हेतु निर्देश।

संदर्भ:- 1. संभागायुक्त, भोपाल संभाग की बैठक दिनांक 20.11.2024

2. बोर्ड का पत्र क्र. 2733 दिनांक 29.11.2024

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है भोपाल शहर को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (नॉन अटेनमेंट सिटी) के अंतर्गत शामिल किया गया है। जिसके अंतर्गत वर्ष 2019 की स्थिति में परिवेशीय वायु गुणवत्ता में 30% का सुधार करने का लक्ष्य है। आपका उद्योग भोपाल शहर में नगर निगम सीमा में स्थापित है एवं इसके चारों ओर घनी आबादी क्षेत्र आता है। आपके उद्योग संचालन में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग किया जाता है जोकि वायु प्रदूषणकारक है एवं इससे भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है।

लेख है कि भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु परंपरागत ईंधन के स्थान पर क्लीन फ्यूल का उपयोग किया जाना आवश्यक है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि शीघ्र क्लीन फ्यूल का उपयोग इकाई में ईंधन के रूप में प्रारंभ किया जावे। इस संबंध में परंपरागत ईंधन के स्थान पर क्लीन फ्यूल का उपयोग करने हेतु समयवद्ध कार्ययोजना 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

01C क्षेत्रीय अधिकारी

पृ. कमांक 770B/क्षेका/प्रनिबो/फाइल नं. भोपाल, दिनांक 02/04/2025
1. महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल सूचनार्थ प्रेषित।

01C क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.)

Phone No. 0755-2466392 | E-mail :- romppcb_bpl@rediffmail.com



कमांक 770C/क्षेका/प्रनिबो/फाइल नं. भोपाल, दिनांक 02/04/2025

प्रति,

मेसर्स एस.एस.बी. पैकेजिंग एल.एल.पी.

प्लॉट नं. 37, सेक्टर-जी, औद्योगिक क्षेत्र,

गोविन्दपुरा, तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र.।

विषय:- नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु ईंधन में क्लीन फ्यूल का उपयोग हेतु निर्देश।

संदर्भ:- 1. संभागायुक्त, भोपाल संभाग की बैठक दिनांक 20.11.2024

2. बोर्ड का पत्र क. 2733 दिनांक 29.11.2024

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है भोपाल शहर को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (नॉन अटेनमेंट सिटी) के अंतर्गत शामिल किया गया है। जिसके अंतर्गत वर्ष 2019 की स्थिति में परिवेशीय वायु गुणवत्ता में 30% का सुधार करने का लक्ष्य है। आपका उद्योग भोपाल शहर में नगर निगम सीमा में स्थापित है एवं इसके चारों ओर घनी आबादी क्षेत्र आता है। आपके उद्योग संचालन में ईंधन के रूप में पेट-कोक ऑयल का उपयोग किया जाता है जोकि वायु प्रदूषणकारक है एवं इससे भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है।

लेख है कि भोपाल शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु परंपरागत ईंधन के स्थान पर क्लीन फ्यूल का उपयोग किया जाना आवश्यक है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि शीघ्र क्लीन फ्यूल का उपयोग इकाई में ईंधन के रूप में प्रारंभ किया जावे। इस संबंध में परंपरागत ईंधन के स्थान पर क्लीन फ्यूल का उपयोग करने हेतु समयबद्ध कार्ययोजना 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

01C क्षेत्रीय अधिकारी

पृ. कमांक 770D /क्षेका/प्रनिबो/फाइल नं. भोपाल, दिनांक 02/04/2025

1. महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल सूचनार्थ प्रेषित।

01C क्षेत्रीय अधिकारी

सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग केंद्र (CAAQMS)

बोर्ड द्वारा विगत वर्षों में मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों व अन्य शहरों में 11 स्थानों पर कुल 15 सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग केंद्रों की स्थापना की गयी है। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा राज्य बोर्ड की 169 वीं बैठक में लिए गए निर्णयानुसार मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 39 सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग के क्रय एवं स्थापना की कार्यवाही प्रचलन में है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :

क्रमांक	शहरों के नाम	स्थापित केंद्रों की संख्या	प्रस्तावित केंद्रों की संख्या
1	Bhopal	03	02
2	Indore	01	03
3	Gwalior	03	02
4	Jabalpur	01	04
5	Ujjain	01	04
6	Sagar	01	04
7	Dewas	01	04
8	Mandideep	01	02
9	Singrauli	01	02
10	Katni	01	--
11	Pithampur	01	--
12	Narmadapuram (Hoshangabad)	--	01
13	Ratlam	--	01
14	Betul	--	01
15	Burhanpur	--	01
16	Narsinghpur	--	01
17	Sehore	--	01
18	Harda	--	01
19	Vidisha	--	01
20	Sheopur	--	01
21	Bhind	--	01
22	Morena	--	01
23	Rewa	--	01
	TOTAL	15	39

S.N	City		NAMP Stations	Zone	Station Code	Latitude	Longitude	Manual / CAAQMS
1	Bhopal	6	Mrignayni Emporium Hamidia Road, Bhopal		122	23.263570	77.410856	Manual
	Bhopal		CETP Govindpura, Bhopal		123	23.269063	77.451630	Manual
	Bhopal		Paryawaran Parisar, Bhopal/ Arera Colony		436	23.2109000	77.425814	CAAQMS
	Bhopal		Kolar road Fire Station Bhopal		796	23.1706083	77.417036	Manual
	Bhopal		TT Nagar Bhopal		877	23.233815	77.400228	CAAQMS
	Bhopal		Sarathi Hospital Hoshangabad Road, Bhopal		876	23.203072	77.445926	Manual
2	Mandideep	1	* AKVN Mandideep/R. O. MPPCB, Mandideep	Industrial	797	23.091268	77.520394	CAAQMS
3	Indore	3	Sanwer Road , Indore		127	22.7058566	75.8433664	Manual
	Indore		* DIG Office, Indore/ Choti Gwaltoli		128	22.431006	75.521277	CAAQMS
	Indore		* Fine Arts College (Vijay Nagar)		131	22.460221	75.531354	CAAQMS
4	Pithampur	2	* Vikas Bhavan Sector 2 Pithampur					CAAQMS
	Pithampur		RCC sector-3, Pithampur					Manual
5	Ujjain	4	RO, MPPCB, Ujjain	Other Area	526	23.167648	75.809013	Manual
	Ujjain		District Industry Office, Ujjain	Industrial	527	23.182912	75.81094	Manual
	Ujjain		* Mahakal Temple, Ecocity, Ujjain	Other Area	528	23.182718	75.768218	CAAQMS
	Ujjain		Nagar Nigam Office ,Ujjain	Other Area	529	23.180277	75.778436	Manual
6	Dewas	3	DEO Office MPPCB, Dewas 745 MIG Vikas Nagar Dewas	Residential	523	22.0571431	76.029	Manual
	Dewas		* K.P College Chouraha Dewas	Commercial	524	22.0583014	76.003197	CAAQMS
	Dewas		Premises of EID Parry India Ltd. Dewas	Industrial	525	22.056192	76.00154	Manual
7	Nagda	3	* Chemical Divi., Labor Club Durgapura Nagda		82	23.443045	75.415644	CAAQMS
	Nagda		* Grasim Kalyan Kendra Birlagram Nagda		0083/246	23.452746	75.418804	CAAQMS
	Nagda		* Grasim Guest House no 02 Birlagram Nagda		84	23.449805	75.402914	CAAQMS
9	Jabalpur	2	RO Office, MPPCB, Vijay Nagar Jabalpur	Residential	248	23.110719	79.929884	Manual
	Jabalpur		Udaipura Beverages Jabalpur	Industrial	798	23.235026	79.979669	Manual
10	Satna	2	RO, MPPCB, Maihar Amarpatan Bypass Road Satna	Residential	342	24.565335	80.87535	Manual
	Satna		Krishi Upaj Mandi Bandhavgarh Colony Satna	Industrial	343	24.584400	80.855132	CAAQMS
11	Sagar	2	* Pt. Deendayal Nagar, H.B. Sagar		532	23.8640N	78.8028E	CAAQMS
	Sagar		* Collectorate Parisar Pili kothi Sagar		533	23.8385N	78.7594E	CAAQMS
12	Singrauli	3	* NTPC, Vindya Nagar Singrauli (Hindi School)		514	24.0887	82.6663	CAAQMS
			Jayant Township, Singrauli		515	24.1175	82.6573	Manual
			Waidhan, Singrauli		516	24.0744	82.6143	Manual
13	Shahdol	2	MPPCB. Office, Building, Gortara, Shahdol	Residential	802	23.2946	81.3804	Manual
	Shahdol		Traffic Office, Near Govt. Distt. Hospital Shahdol.		801	23.3073	81.3536	Manual
14	Chhindwara	2	Regional Office, Chhindwara in front of Mulla ji Petrol pump, Parasia Road, Chhindwara	Residential	799	22.064716	78.912587	Manual
	Chhindwara		Jabalpur Dugdh sangh Chhindwara	Industrial	800	22.0761799	78.934337	Manual
15	Katni	2	HIG -4, Housing Board Colony, Katni	Residential	874	23.8061981	80.3722929	CAAQMS
	Katni		M/s Calderys Work India Refacories Ltd., Katni	Industrial	875	23.805815	80.392006	Manual
16	Rewa	1	Nehru Nagar, MPPCB Office Building	Residential	1009	24.547149	81.320939	Manual

S.N	City		NAMP Stations	Zone	Station Code	Latitude	Longitude	Manual / CAAQMS
-----	------	--	---------------	------	--------------	----------	-----------	-----------------

38

Urban

1	Pithampur	1	M/s Leupin Pharma Phase-2, Sector-3, Pithampur			22.621155	75.636764	Manual
2	Gwalior	3	Lal Tipara, STP Lal Tipara Bhawan Gwalior	Urban		26.245028	78.23361	Manual
			Laliyapur, STP Laliyapur Gwalior	Urban		26.158114	78.186228	Manual
			Laxmibai National Institute of Physical Education	Urban		26.220805	78.19242	Manual
3	Jabalpur	1	Govt. Ayurvedik Autonomus College, Gwarighat Jabalpur	Silence	363	23.11071	79.929884	Manual
4	Satna	1	Hotel Bharhut, M.P. Paryatan Vikas Nigam, Civil line, Satna	Commercial		24.575843	80.823279	Manual
5	Sagar	1	New Officer Colony, Sagar			23.8267N	78.7640E	Manual
6	Shahdol	1	Britan International School, gram Chandaniya, District Umariya			23.3145	81.3390	Manual
7	Chhindwara	1	District Hospital Chhindwara	Silence		22.053245	78.936368	Manual
8	Katni	1	Nagar Palik Nigam, Gole Bazar, Katni	Commercial		23.83376	80.3913583	CAAQMS
9	Rewa	2	Super Specility Hospital, Amahiya Rewa	Commercial	-	24.535362	81.296775	Manual
			M/s Vindhya Teli links ltd. Udyog Vihar, Rewa	Industrial	-	24.524367	81.255882	Manual

12

Rural

1	Bhopal	1	Gram Panchayat Bhawan Berkhedi Bazyaft Bhopal		-	23.171973	77.335956	Manual
2	Mandideep	1	Village Bhojpur					Manual
3	Indore	1	Village Ujjaini			22.381653	75.593865	Manual
4	Ujjain	1	Village Chintaman Jawasiya					Manual
5	Gwalior	1	Village Barai Janpad Karyalay Bhawan Ghatigaon			26.116011	78.014145	Manual

5

Bhopal Hotspot Report

December 2025- January 2026

S.No	Hotspot Stations	Date Of Monitoring	December 2025- January 2026							CATEGORY
			SO2	NO2	PM10	PM2.5	AQI			
1	M.P Nagar Police Station near D B Mall	29.12.2025	4.61	23.09	189.89	86.87	189.22	Moderate		
2	Kolar Thana, Kolar Road	17.12.2025	7.42	23.86	208.68	50.65	172.07	Moderate		
3	Bhopal Railway Station	16.12.2025	10.32	34.47	259.33	56.13	209.33	Poor		
4	Bhopal Talkies Chouraha	05.01.2026	5.82	27.08	290.11	101.18	240.11	Poor		
5	Cloth Market, Bairagarh	31.12.2025	5.64	24.57	219.00	93.29	208.81	Poor		
6	Sarvadharam Nagar Chouraha, Kolar Road	24.12.2025	4.22	21.58	186.87	56.57	157.67	Moderate		
7	Jyoti Talkies Chouraha	29.12.2025	5.59	49.07	266.54	95.26	216.54	Poor		
8	Lalghati Chouraha	31.12.2025	5.61	39.31	196.40	80.00	165.79	Moderate		
9	Prabhat Chouraha, Govindpura Road	15.12.2025	5.29	23.33	229.75	92.04	204.55	Poor		
10	Baigsevaniya Chouraha, Hoshangabad Road	30.12.2025	4.90	19.38	190.85	86.01	190.28	Moderate		
11	Bhanpur Khanti, Bhanpur	02.01.2026	4.14	15.79	139.86	57.00	126.65	Moderate		
12	J.K.Road Bhopal	02.01.2026	6.00	30.69	245.52	95.99	218.02	Poor		
13	Karond Chouraha	12.12.2025	3.82	27.01	237.00	95.02	214.71	Poor		
14	Nadra Bus Stand. Chola Road	05.01.2026	5.69	26.41	292.00	107.58	257.54	Poor		
15	10 No. Chouraha	26.12.2025	4.16	20.47	232.47	54.97	188.10	Moderate		
16	Manisha Market Chouraha	24.12.2025	2.87	15.09	196.78	55.88	164.21	Moderate		
17	MANIT Chouraha	01.01.2026	4.37	17.41	185.45	81.01	169.23	Moderate		
18	Nehru Nagar Chouraha	01.01.2026	3.62	24.99	273.00	84.97	223.00	Poor		
19	Subhash Sevdah garh	05.01.2026	5.59	27.16	197.34	93.99	211.20	Poor		
20	Govindpura Solid waste segregation centre	15.12.2025	9.45	23.95	231.96	72.18	187.43	Moderate		
21	Sarthi Hospital, Hoshangabad Road	17.12.2025	6.73	27.42	226.37	-	183.74	Moderate		

Government of Madhya Pradesh
Department of Environment
Mantralaya

//Notification//

Date / 5th May 2017

No F 12-37/2017/18-5- The Government of Madhya Pradesh in consultation with Madhya Pradesh State Pollution Control Board has declared the whole of the State of Madhya Pradesh as Air Pollution Control area under section 19(1) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 vide Notification no 1481-1473-32-88 dated 09 March 1988 for the purpose of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981

Whereas, the Government of Madhya Pradesh had considered the matter relating to the indiscriminate burning of left over paddy and wheat straw/stubble in the open fields in the State and it has been observed that the indiscriminate burning of said left over straw/stubble in open fields after the harvesting crops is causing wide spread pollution in whole of the State of Madhya Pradesh resulting in various kinds of environmental problems.

And whereas, air pollution caused by the burning of the left over straw leads to eye irritation respiratory diseases like bronchitis, asthma etc. increasing individual diseases mitigation expenses and also affecting one's working capacity. In addition, open burning in the field affects the life of animals, birds and other insects below and above the earth and also causes poor visibility and increases the incidence of road accidents

Whereas, section 19(5) of the air (prevention & control of pollution) act 1981 empowers the state Government to prohibit the burning of any material (not being fuel) in the air pollution control area of part thereof, which may cause or is likely to cause air pollution by issuing a notification in this regard after consultation with the state pollution control board.

And whereas, the state Government after consultation with the Madhya Pradesh state pollution control board is of the opinion that the indiscriminate burning of left over paddy and wheat straw/stubble after harvesting of the crop in the state causes wide spread air pollution, which is harmful to the environment as well as other living creatures

Therefore, in exercise of the power conferred under section 19 (5) of the air (prevention & Control of pollution act 1981, Governor of Madhya Pradesh is pleased to issue directions to all concerned and general public and hereby prohibits the indiscriminate burning of left over paddy and wheat straw/stubble in the whole of state of Madhya Pradesh with immediate effect

121

Any person or body that is found offending this direction would be liable to pay Environmental Compensation as per directives of Honourable National Green Tribunal as follows:

1. Small land holders having an area less than 2 acres shall pay Environmental Compensation of Rs. 2500/- per incidence
2. Land holders having land area more than 2 acres but less than 5 acres shall pay Environment Compensation of Rs. 5000/- per incidence
3. Land holders having an area more than 5 acres shall pay Environmental Compensation of Rs. 15000/- per incidence

The District Magistrate of concerned district shall be responsible for executing these orders

(Rajeev Sharma) 15/05
 Additional Secretary
 Govt. of Madhya Pradesh
 Department of Environment

Endst No. F 12-37/2017/18-5-

Dated 15 May, 2017

A copy of the above is forwarded to the following for information and further necessary action

- (1) Principal Secretary, Hon' C.M. Govt. Of M.P. Bhopal
- (2) Principle Secretary, Chief Secretary, Govt. Of M.P
- (3) All the additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary of the State of Madhya Pradesh.
- (4) All the Commissioners of the State of Madhya Pradesh.
- (5) All the Collectors of the State of Madhya Pradesh.
- (6) Chairman, Madhya Pradesh Pollution Control Board.
- (7) Regional Officer, M.P Pollution Control Board (OIC) Bhopal
- (8) Shri Sachin K. Verma, Standing Council, NGT, Bhopal.
- (9) Controller, Printing and Stationary, Madhya Pradesh. He is requested to publish the notification in the gazette of state and to send 50 (fifty) copies of the same to government.

Additional Secretary
 Govt. of Madhya Pradesh
 Department of Environment



क्षेत्रीय कार्यालय
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल



Telephone:- 0755-2466392 Email:- romppcb_bpl@rediffmail.com

क्रमांक 2677/क्षेका/प्रनिबो/2024

भोपाल, दिनांक 25/11 /2024

प्रति,

क्लेक्टर,
कार्यालय कलेक्टर,
जिला-भोपाल, (म.प्र.)

विषय:- खेतों में फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों (पराली/नरवाई) जलाने पर कार्यवाही के संबंध में।

संदर्भ:- 1. म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग के नोटिफिकेशन क्र. F-12-37/2017/18-5 दिनांक 15.05.2017 ।
2. म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र./डी-7-6/2016/14-3 भोपाल, दिनांक 16.05.2017 ।

—0—

कृपया उपरोक्तानुसार विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन हो। सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न कर प्रेषित है। लेख है कि पर्यावरण विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 15.05.2017 अनुसार पराली जलाने पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का प्रावधान है एवं नोटिफिकेशन अनुसार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन नियमों को लागू करने हेतु अधिकृत किया है।

कृपया उपरोक्त के संबंध में निवेदन है कि पराली के जलाने से संबंधित प्रकरणों पर नियमित कार्यवाही की जावे। लेख है कि मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिसम्बर 2024 के द्वितीय सप्ताह में समीक्षा बैठक में इस विषय पर प्रगति पर चर्चा की जाना प्रस्तावित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल



Telephone:- 0755-2466392 Email:- romppcb_bpl@rediffmail.com

क्रमांक 2678/क्षेका/प्रनिबो/2024

भोपाल, दिनांक 25/11 /2024

प्रति,

क्लेक्टर,
कार्यालय कलेक्टर,
जिला-सीहोर, (म.प्र.)

विषय:- खेतों में फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों (पराली/नरवाई) जलाने पर कार्यवाही के संबंध में।

- संदर्भ:-
1. म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग के नोटिफिकेशन क्र. F-12-37/2017/18-5 दिनांक 15.05.2017 ।
 2. म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र./डी-7-6/2016/14-3 भोपाल, दिनांक 16.05.2017 ।

—0—

कृपया उपरोक्तानुसार विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन हो। सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न कर प्रेषित है। लेख है कि पर्यावरण विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 15.05.2017 अनुसार पराली जलाने पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का प्रावधान है एवं नोटिफिकेशन अनुसार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन नियमों को लागू करने हेतु अधिकृत किया है।

कृपया उपरोक्त के संबंध में निवेदन है कि पराली के जलाने से संबंधित प्रकरणों पर नियमित कार्यवाही की जावे। लेख है कि मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिसम्बर 2024 के द्वितीय सप्ताह में समीक्षा बैठक में इस विषय पर प्रगति पर चर्चा की जाना प्रस्तावित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

ac क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल



Telephone:- 0755-2466392 Email:- romppcb_bpl@rediffmail.com

क्रमांक 2679/क्षेका/प्रनिबो/2024

भोपाल, दिनांक 25/11 /2024

प्रति,

क्लेक्टर,
कार्यालय कलेक्टर,
जिला-विदिशा, (म.प्र.)

विषय:- खेतों में फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों (पराली/नरवाई) जलाने पर कार्यवाही के संबंध में।

संदर्भ:- 1. म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग के नोटिफिकेशन क्र. F-12-37/2017/18-5 दिनांक 15.05.2017 ।
2. म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र./डी-7-6/2016/14-3 भोपाल, दिनांक 16.05.2017 ।

—0—

कृपया उपरोक्तानुसार विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन हो। सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न कर प्रेषित है। लेख है कि पर्यावरण विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 15.05.2017 अनुसार पराली जलाने पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का प्रावधान है एवं नोटिफिकेशन अनुसार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन नियमों को लागू करने हेतु अधिकृत किया है।

कृपया उपरोक्त के संबंध में निवेदन है कि पराली के जलाने से संबंधित प्रकरणों पर नियमित कार्यवाही की जावे। लेख है कि मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिसम्बर 2024 के द्वितीय सप्ताह में समीक्षा बैठक में इस विषय पर प्रगति पर चर्चा की जाना प्रस्तावित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

OLC क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल



Telephone:- 0755-2466392 Email:- romppcb_bpl@rediffmail.com

क्रमांक 2680 / क्षेत्रा / प्रनिबो / 2024

भोपाल, दिनांक 25/11/2024

प्रति,

क्लेक्टर,
कार्यालय कलेक्टर,
जिला-राजगढ़, (म.प्र.)

विषय:- खेतों में फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों (पराली/नरवाई) जलाने पर कार्यवाही के संबंध में।

- संदर्भ:-
1. म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग के नोटिफिकेशन क्र. F-12-37/2017/18-5 दिनांक 15.05.2017 ।
 2. म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र./डी-7-6/2016/14-3 भोपाल, दिनांक 16.05.2017 ।

—0—

कृपया उपरोक्तानुसार विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन हो। सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न कर प्रेषित है। लेख है कि पर्यावरण विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 15.05.2017 अनुसार पराली जलाने पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का प्रावधान है एवं नोटिफिकेशन अनुसार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन नियमों को लागू करने हेतु अधिकृत किया है।

कृपया उपरोक्त के संबंध में निवेदन है कि पराली के जलाने से संबंधित प्रकरणों पर नियमित कार्यवाही की जावे। लेख है कि मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिसम्बर 2024 के द्वितीय सप्ताह में समीक्षा बैठक में इस विषय पर प्रगति पर चर्चा की जाना प्रस्तावित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


क्षेत्रीय अधिकारी



274
Madhya Pradesh Pollution Control Board
Paryawaran Parisar, E-5, Area Colony, Bhopal-462016
E-mail: monitoringhompccb19@gmail.com

क-09
संलग्नक-09

Joint Committee Meeting under NGT Case No. 192/ 2025
on dated 11.03.2026 at 11:30 AM

S.No.	Name & Designation	Name of Department	Signature	Contact No.	E-mail
1	Shushir Gerawal	UADD	Shushir		
2	KIRAN SHARMA	Transport	Shushir	9425187113	
3	Jainendra chandel (Chemist)	R.O. MP PCB Bhopal	J	8319230071	jainendra chandel@gmail.com
4	Dr. Rajkumar Singh Chief Chemist	H.O. MPP CB, Bhopal	R	8085749509	rk@mppcb@gmail.com
5	Sumit Chetri	UADD, consultant	S	8989153523	Sumitchetri1@gmail.com
6	Atul Khare	Consultant, UADD	Atul Khare	9920763428	atulkhare@kpmg.com
7	Dr. R. P. Mishra	CPCB (Retd officer)			
8	Pracheer Didi	MPPCB	P	9522210007	pracheer.pcb@mp.gov.in
9	Dr. Amit K. Mishra ASO	EPCO	A	9479869221	crsmamit@gmail.com
10	Rajneesh Patel	MPPCB	R	9617250366	raj49neesh@gmail.com
11	P. C. Uchariya	S.S.O.	P	9424935667 monitoring mppcb19@gmail.com	
12	Dr. Satya Singh Sci. E, Asst. Director	MOEF, C.C. R.O. Bhopal	S by V.C.		
13	Dr. Subrata Pami, Laboratory Co-ordinator	ERL, EPCO, Bhopal	by V.C.	5893442857	
14					
15					

SAS-Bhopal

- I. Currently, Bhopal city is being monitored by 7 Air Quality Monitoring Systems out of which 03 are Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations (CAAQMS) and remaining 04 are Manual stations.
- II. The Source Apportionment Study of Bhopal city was carried out by Automotive Research Association of India, Pune.
- III. ARAI, Pune has submitted the Report of Source Apportionment Study and major findings of the report are-
 - ❖ Total PM10 emission load in the Bhopal city is estimated to be 10,309.3 tonnes per year. The top four contributors to PM10 emissions are-
 1. Dust (62.2%),
 2. Transport (13.0%),
 3. Construction (12.1% each) and
 4. Open Waste Burning (2.9%).
 - ❖ Similarly, the total PM2.5 emission load in the Bhopal city is estimated to be 4121.1 tonnes per year. The top four contributors to PM2.5 emissions are-
 1. Dust (37.7%),
 1. Transport (29.3%),
 2. Construction (7.6%), and
 3. Open Waste Burning (6.7%).
4. The proposed Action Plan is as **Annexure-I**.

https://drive.google.com/file/d/1eAx1a_6xQU7halda7XXdwEkOb-gLbN6g/view?usp=drive_link

GRAP (GRADED RESPONSE ACTION PLAN) for NCR

Stage-1	'Poor' Air Quality (AQI ranging between 201-300)	<ul style="list-style-type: none"> • Strict enforcement of dust control at construction sites • Ban on waste burning • Increased mechanized road sweeping & water sprinkling • Public advisories to reduce outdoor exposure
Stage-2	'Very Poor' Air Quality (AQI ranging between 301-400)	<ul style="list-style-type: none"> • Ban on diesel generator (DG) sets (except essential services) • Enhanced parking fees to discourage private transport • Boost CNG/electric bus services • Mandatory coverage of construction materials
Stage -3	'Severe' Air Quality (AQI ranging between 401-450)	<ul style="list-style-type: none"> • Ban on construction & demolition activities, except essential projects • Closure of stone crushers, hot-mix plants, brick kilns • Restrictions on truck entry into NCR • Ban on certain industrial operations
Stage- 4	'Severe +' Air Quality (AQI > 450)	<ul style="list-style-type: none"> • Curbs on non-essential movements & vehicles • Closure of schools/colleges (as decided by authorities) • Stop all C&D activities • Halt truck movement & certain industrial sectors entirely

(75)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 18 जुलाई, 2019

क्रमांक: एफ 19-57/2019/1/4: राज्य शासन एतद् द्वारा संयुक्त सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अशा. पत्र क्रमांक 16017/12/2009 सीएए, दिनांक 24/04/2019 के अनुक्रम में National Clean Air Programme (NCAP) के तहत प्रदेश के 06 नॉन अटेंमेंट शहरों कमरा: (भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, ग्वालियर एवं सागर) के एअर क्वालिटी कियान्वयन की प्रगति की समीक्षा तथा मार्गदर्शन हेतु निम्नानुसार Steering Committee का गठन करता है :-

1	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
5	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग	सदस्य
6	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
7	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	सदस्य
8	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	सदस्य
9	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास	सदस्य
10	संभागीय आयुक्त, भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/सागर	सदस्य
11	सदस्य सचिव, मध्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल	सदस्य सचिव
12	अध्यक्ष द्वारा नामांकित पर्यावरण विशेषज्ञ	सदस्य

2/ उक्त समिति की बैठकें, प्रत्येक तीन माह में आयोजित की जावेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

 17.7.19

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2019

क्रमांक: एफ 19-57/2019/1/4

प्रतिलिपि -

1. समिति के अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य एवं संयोजक
 2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
 3. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
 4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग की ओर उनकी नस्ती सहित।
 5. उपसंचालक, जनसम्पर्क मंत्रालय भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

 17.7.19

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

SSO (10)

11/115

ANNEXURE-2

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक ३३९९/३७३६/२०२१/१४-२

भोपाल, दिनांक 27/10/21

::आदेशः

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देश के अनुक्रम में राज्य के 4 मिलियन प्लस (इंदौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर) शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार संबंधी गतिविधियों की निगरानी और कार्या (Monitoring and Implementation) हेतु एतद द्वारा निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग	-	अध्यक्ष
2. आयुक्त सह सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग	-	समन्वयक एवं सदस्य
3. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि	-	सदस्य
4. सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	-	सदस्य
5. सचिव, परिवहन विभाग	-	सदस्य
6. मध्यप्रदेश चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि	-	सदस्य

इस राज्य स्तरीय समिति द्वारा आवश्यकतानुसार मिलियन प्लस शहरों द्वारा गतिविधियों की समीक्षा अथवा कम से कम प्रत्येक 6 माह में एक बार बैठक आहूत की जायेगी।

इस राज्य स्तरीय समिति के कार्य एवं दायित्व निम्नानुसार होंगे:-

1. समिति मध्यप्रदेश के चारों मिलियन प्लस शहरों (भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर) के वायु गुणवत्ता सुधार हेतु अनुशंसित मानक आधार पर प्रगति आकलन करेगी। (संलग्न मार्गदर्शिका प्रपत्र के पृष्ठ क्र-7 के विन्दु अनुसार)
2. समिति द्वारा अनुदान राशि जारी करने लिए नियत प्राथमिक शर्तों का परिपालन निश्चित करायेगी। (संलग्न मार्गदर्शिका प्रपत्र के पृष्ठ क्र 12 के विन्दु क्र 16 अनुसार)
3. समिति MoEF&CC से अनुशंसित मार्गदर्शिका प्रपत्र के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमोदित शहरों के एक्शन प्लान के कार्यान्वयन एवं 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त राशि (मिलियन प्लस चेलेंज फंड) के उपयोगीकरण की समीक्षा करेगी।
4. समिति अनुशंसित मिलियन प्लस शहरों के अनुदान राशि हेतु प्रस्तावों को अनुशंसित पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार (MoEF&CC) के कार्यावाही हेतु प्रेषित करेगी।

(मनीष सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 27/10/2021

संख्यांकन क्रमांक ३४००/३७३६ /२०२१/१४-२

प्रतिलिपि

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, भोपाल, म.प्र.।
2. आयुक्त सह सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल, म.प्र.।
3. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल, म.प्र.।
4. सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल, म.प्र.।
5. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग, भोपाल, म.प्र.।
6. मध्यप्रदेश चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, भोपाल, म.प्र.।

M. K. S.
 प्रमुख सचिव,
 मध्यप्रदेश शासन
 नगरीय विकास एवं आवास विभाग
 मंत्रालय, भोपाल

CE-I
 /
 R